

वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से  
डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 35 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 अगस्त, 2015-भाद्र 6, शके 1937

### भाग 3 (1)

#### विज्ञापन

#### स्थानीय संस्थाओं की सूचनाएं

#### इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर

7, रेसकोर्स रोड, इन्दौर

दिनांक 24 अगस्त, 2015

प्रारूप पन्द्रह

[नियम 18 (3) देखिये]

वि. क्र. 225.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम सन्-1973 (क्रमांक 23 सन्-1973) की धारा-50 की उपधारा (4) के अधीन इन्दौर निवेश क्षेत्र में इन्दौर विकास प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित ग्राम भंवरासला, भांग्या, कुमेडी, शक्करखेड़ी, तहसील सावेंर, जिला इन्दौर एवं ग्राम कैलोदहाला, तलावली चांदा, लसुड़िया मोरी एवं अरंडिया तहसील व जिला इन्दौर की निम्नलिखित खसरा नम्बरों की भूमि से सम्बंधित नगर विकास योजना क्रमांक 177 को उक्त अधिनियम की धारा-50 (7) के अन्तर्गत सर्व-साधारण की जानकारी के लिये एतद्द्वारा प्रकाशित एवं घोषित किया जाता है.

योजना क्रमांक 177 में ग्राम भंवरासला, भांग्या, कुमेडी, शक्करखेड़ी, तहसील सावेंर, जिला इन्दौर एवं ग्राम कैलोदहाला, तलावली चांदा, लसुड़िया मोरी एवं अरंडिया तहसील व जिला इन्दौर के निम्नांकित खसरा नम्बरों की भूमि सम्मिलित है:—

(1) ग्राम भंवरासला, तहसील सावेंर, जिला इन्दौर के खसरा नम्बर :—174 पार्ट, 183 पार्ट, 184 पार्ट, 185 पार्ट, 186 पार्ट, 187, 188, 189 पार्ट, 190 पार्ट, 191 पार्ट, 206 पार्ट, 207 पार्ट, 208 पार्ट एवं 215 पार्ट.

(2) ग्राम कुमेडी, तहसील सावेंर, जिला इन्दौर के खसरा नम्बर :—1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, 6 पार्ट एवं 7 पार्ट.

(3) ग्राम भांग्या, तहसील सावेंर, जिला इन्दौर के खसरा नम्बर :—29 पार्ट, 30, 31 पार्ट, 33 पार्ट, 35 पार्ट, 113 पार्ट, 117 पार्ट, 118, 119 पार्ट, 128 पार्ट, 129, 130, 131, 132, 133, 134 पार्ट, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144 पार्ट, 145 पार्ट, 162 पार्ट, 163, 164, 165, 166, 167 पार्ट, 169 पार्ट, 170, 171, 172, 173, 174, 175 पार्ट, 176, 177 पार्ट, 178, 179 पार्ट, 180 पार्ट, 181 पार्ट, 182 पार्ट, 183 पार्ट, 192 पार्ट, 195 पार्ट, 196 पार्ट, 197 पार्ट, 199 पार्ट, 200, 201 पार्ट, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210 पार्ट, 211, 212 पार्ट, 213 पार्ट, 214 पार्ट, 215, 216 पार्ट, 217 पार्ट एवं 218 पार्ट.

(4) ग्राम शक्करखेड़ी, तहसील सावेंर, जिला इन्दौर के खसरा नम्बर :— 66 पार्ट, 87 पार्ट, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95 पार्ट, 96 पार्ट, 97, 98 पार्ट, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 पार्ट, 106 पार्ट, 107 पार्ट, 111 पार्ट, 113 पार्ट, 114, 115, 116, 116/145, 117, 118, 119, 120 पार्ट, 121, 122, 123, 124, 125 पार्ट, 126 पार्ट, 127 पार्ट, 128, 129, 130 पार्ट, 131 पार्ट, 137 पार्ट, 138 पार्ट, 139 पार्ट, 140, 141 पार्ट एवं 142 पार्ट.

(5) ग्राम कैलोदहाला तहसील व जिला इन्दौर के खसरा नम्बर :— 109 पार्ट, 166 पार्ट, 194 पार्ट, 196 पार्ट, 197 पार्ट, 203 पार्ट, 204 पार्ट, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212 पार्ट, 213 पार्ट, 214 पार्ट, 215 पार्ट, 220 पार्ट, 221 पार्ट, 222 पार्ट, 223 पार्ट, 234 पार्ट, 235, 236, 237, 238 पार्ट, 239, 240, 241, 242 पार्ट, 245 पार्ट, 253 पार्ट, 254 पार्ट, 255, 256, 257 पार्ट, 258, 259, 260, 261, 262 पार्ट, 263 पार्ट, 264 पार्ट, 266 पार्ट, 298 पार्ट, 302 पार्ट, 304 पार्ट, 305, 306, 307, 308, 309 पार्ट, 310 एवं 311 पार्ट.

(6) लसुड़िया मोरी तहसील व जिला इन्दौर के खसरा नम्बर :— 1, 2 पार्ट, 3, 4 पार्ट, 6 पार्ट, 12 पार्ट, 44 पार्ट, 102 पार्ट, 103, 104, 105, 106 पार्ट, 107 पार्ट, 108 पार्ट, 111 पार्ट, 124 पार्ट, 125, 126 पार्ट, 127 पार्ट, 207 पार्ट, 208-पार्ट, 209 पार्ट, 210 पार्ट एवं 209/334, 207/338 पार्ट.

(7) ग्राम तलावली चांदा तहसील व जिला इन्दौर के खसरा नम्बर :— 24 पार्ट, 25, 26 पार्ट, 31 पार्ट, 206 पार्ट, 207, 208 पार्ट, 209, 210 पार्ट, 215 पार्ट, 219 पार्ट, 221 पार्ट, 222, 223, 224 पार्ट, 225, 226 पार्ट, 228 पार्ट, 230 पार्ट, 231 पार्ट, 233 पार्ट, 234 पार्ट एवं 236 पार्ट.

(8) ग्राम अरंडिया तहसील व जिला इन्दौर के खसरा नम्बर :— 6 पार्ट, 7 पार्ट, 24 पार्ट, 25 पार्ट, 26 पार्ट, 33 पार्ट, 167 पार्ट, 168 पार्ट, 169 पार्ट, 170 पार्ट, 171 पार्ट, 172, 173, 174, 175, 176 पार्ट, 177, 178 पार्ट, 179 पार्ट, 180, 181 पार्ट, 189 पार्ट, 215 पार्ट, 216 पार्ट एवं 217 पार्ट.

उक्त योजना की प्रति निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण के लिये उपलब्ध है—

1. कार्यालय, इन्दौर विकास प्राधिकारी, प्राधिकरण भवन, 7, रेसकोर्स रोड, इन्दौर.
2. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्रामीण नियोजन विभाग, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, इन्दौर.
3. आयुक्त, इन्दौर नगर पालिक निगम, इन्दौर.

उक्त नगर विकास योजना इस विज्ञप्ति के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवर्तित होगी.

राकेश सिंह,

मुख्य कार्यपालिक अधिकारी.

(292-बी.)

## अन्य सूचनाएं

### CHANGE OF NAME

To whom it may concern that my name was Sohan Singh Bundela and now I have changed my Name to Soham Bundela. So, I will be known by the new name with immediate effect.

Old Name :

(SOHAN SINGH BUNDELA)

(280-B.)

New Name :

(SOHAM BUNDELA)

251-A, Vaibhav Laxmi Nagar,  
Vijay Nagar, Indore(M. P.)

### उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, धनपत चर्मकार आत्मज श्री प्रेमलाल चर्मकार, निवासी-ग्राम क्योँटार पो. लहरपुर, तहसील जैतहरी, जिला अनूपपुर (म.प्र.) में निवास करता हूँ मैं वर्तमान में धनपत चर्मकार के नाम से जाना एवं पहचाना जाता हूँ तथा मेरे समस्त शैक्षणिक अंकसूची एवं प्रमाण-पत्रों में भी यही अंकित है मैं व्यक्तिगत कारणों से अपना उपनाम बदल रहा हूँ जिसके परिणाम स्वरूप प्रकाशन दिनांक से अब मेरा नाम धनपत चौधरी हो गया है. जिसके पश्चात् भविष्य में मुझे धनपत चौधरी के नाम से जाना एवं पहचाना जाएगा एवं साथ ही मैं माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश, भोपाल एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक मध्यप्रदेश से अनुरोध करता हूँ की मेरा समस्त शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों में मेरा उपनाम धनपत चौधरी किया जाए.

पुराना नाम :

( धनपत चर्मकार )

( DHANPAT CHARMKAR )

(281-बी.)

नया नाम :

( धनपत चौधरी )

(DHANPAT CHOUDHARY)

आत्मज- श्री प्रेमलाल चर्मकार  
ग्राम-क्योँटार पो. लहरपुर, तहसील जैतहरी,  
जिला अनूपपुर (म.प्र.)

**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा बचपन का नाम (घरू) पल्लवी पवार पुत्री श्री विजय सिंह पवार था. मेरे सभी दस्तावेजों में प्रणी पवार पुत्री श्री विजयसिंह पवार के नाम से अंकित है. दोनों ही नाम मेरे ही हैं. दिनांक 13 फरवरी, 2009 को मेरी शादी होने के कारण मेरा नाम प्रणी बोर्हाडे पत्नी श्री गणेश बोर्हाडे हो गया है. भविष्य में मुझे मेरे नये नाम से जाना एवं पहिचाना जावे.

पुराना नाम :

( पल्लवी पवार )

(282-बी.)

नया नाम :

( प्रणी बोर्हाडे )

पत्नी-श्री गणेश बोर्हाडे,  
19, शीतल कॉलोनी ए बलवन्त नगर  
गांधी रोड, ठाटीपुर, ग्वालियर (म.प्र.).

**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पूर्व का नाम मन्टीलाल था जो कि मैं, आज दिनांक से अपना नाम "श्रीमंत" SHREEMANT रख लिया है.

अतः मुझे इसी नये नाम से "श्रीमंत" से ही जाना जावे.

पुराना नाम :

( मन्टीलाल )

(284-बी.)

नया नाम :

( श्रीमंत )

म. नं. B-501, NFL विजयपुर,  
जिला-गुना (म.प्र.).

**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का पूर्व में नाम गुंजन साखी पुत्र श्री पुरषोत्तम साखी था. जिसे मैंने परिवर्तित कर उसका नाम सिद्धांत साखी रख दिया है. अतः भविष्य में मेरे पुत्र को नये नाम सिद्धांत साखी के नाम से जाना एवं पहचाना जावे.

पुरषोत्तम साखी

(289-बी.)

6, विध्यांचल नगर, एरोडम रोड, इन्दौर.

**नाम परिवर्तन**

मैं, शपथकर्ता, शपथपूर्वक सत्य कथन करती हूँ कि यह कि मेरे सभी शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों में मेरा नाम साबो पुत्री श्री ग्याराम सिंह अंकित है मेरे विवाह के बाद मेरा नाम श्रीमती सविता प्रसाद पत्नी श्री राजेन्द्र प्रसाद हो गया है. अतः अब मुझे भविष्य में मेरा नया नाम श्रीमती सविता प्रसाद पत्नी श्री राजेन्द्र प्रसाद ही लिखा व पढ़ा जावे तथा साबो एवं श्रीमती सविता प्रसाद उक्त दोनों नाम मुझ शपथकर्ता के ही हैं जो एक ही व्यक्ति है जो दोनों नामों के अंतर में किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मुझ शपथकर्ता की रहेगी. यह कि शपथकर्ता की एल. आई. सी. की पॉलिसी क्रमांक 203235271 है जिसमें मेरा नाम साबो अंकित है जो कि त्रुटिपूर्ण है और मुझ शपथकर्ता के अन्य सभी दस्तावेजों में मेरा नाम सविता प्रसाद अंकित है जो कि सही है. दिनांक 10 अगस्त, 2015.

पुराना नाम :

( साबो )

पुत्री-श्री ग्याराम सिंह

(291-बी.)

नया नाम :

( सविता प्रसाद )

पत्नी-श्री राजेन्द्र प्रसाद  
पता-एच. आई.जी.-2, डुप्लेक्स,  
दीनदयाल नगर, मकरोनियां सागर (म.प्र.).

**जाहिर सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मे. जैन कं. कं. बड़े जैन मंदिर के पास, बंडा बेलई, जिला सागर का पुनर्गठन 01-08-2015 को किया जाना है जिसके अंतर्गत श्री अशोक कुमार जैन भागीदार फर्म से अपने निजी कारणों बावत निवृत्त हो चुके हैं. अतः फर्म में शेष तीन भागीदार श्री नीरज, नीलेश व नीतेश रहेंगे.

M/s. Jain Construction Co.,

नीतेश जैन,

(Partner).

(283-बी.)

### नाम परिवर्तन

मैं, देवेन्द्र सिंह राजपूत अपने पुत्र पिकुल राजपूत का नाम परिवर्तन करके आदित्य सिंह राजपूत रखना चाहता हूँ. इसके लिये मैं शपथ पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ. भविष्य में मेरे पुत्र को नये नाम आदित्य सिंह राजपूत के नाम से जाना, पहचाना जावे एवं उसके स्कूल केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक-1 में भी नया नाम दर्ज किया जाए एवं समस्त शासकीय दस्तावेजों में भी नया नाम दर्ज किया जाये.

देवेन्द्र सिंह राजपूत,  
डी-85, विनय नगर सेक्टर नं. 2  
ग्वालियर.

(293-बी.)

### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम विवाह पूर्व डॉ. (कु.) नीना वर्मा पुत्री स्व. श्री गोपाल सिंह वर्मा था. जो कि विवाह उपरान्त बदलकर डॉ. (श्रीमती) भूमिका जगवानी पत्नी डॉ. मनोज जगवानी हो गया है. अतः मुझे डॉ. (श्रीमती) भूमिका जगवानी के नाम से सभी शासकीय तथा गैर शासकीय दस्तावेजों में जाना एवं पढ़ा जाय.

पुराना नाम :

नया नाम :

( नीना वर्मा )

( भूमिका जगवानी )

पत्नी-डॉ. मनोज जगवानी,

पता:- 370, न्यू सिन्धी कॉलोनी,

सतना (म.प्र.).

(294-बी.)

### सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि जी. एल. पुणताम्बेकर उर्फ गंगाधर पुणताम्बेकर, उम्र 54 वर्ष, पिता स्व. श्री एल. आर. पुणताम्बेकर, निवासी-सी-26 गौर नगर, विश्वविद्यालय परिसर, सागर (म.प्र.) 4730003 पदस्थ प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर (म.प्र.) उक्त दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं. उनके सम्पूर्ण शासकीय अर्धशासकीय रिकार्ड एवं आधार कार्ड, बिजली बिल, पेन कार्ड आदि में उन्हें जी. एल. पुणताम्बेकर के नाम से जाना जाता है और आगे भी यही नाम प्रचलित होगा.

राजेश मिश्रा,

( अधिवक्ता )

सागर.

(295-बी.)

### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम सुनिल शंकर लालजी पाठक पिता शंकर लालजी पाठक था. जिसे बदलकर मैंने सुनिल पाठक पिता शंकर लाल पाठक कर लिया है. अतः सभी जन अब मुझे मेरे नये नाम सुनिल पाठक पिता शंकर लाल पाठक से जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम :

नया नाम :

( सुनिल शंकर लालजी पाठक )

( सुनिल पाठक )

पिता-शंकरलाल पाठक,

पता:- 41, महादेव तोतला नगर,

बंगाली स्केअर, रिंग रोड, इन्दौर (म.प्र.).

(297-बी.)

**नाम परिवर्तन**

मैं, श्रीमती परमिन्दर कौर सिन्हा पति श्री बिपिन कुमार सिन्हा, निवासी-53-ए, राम रहीम कॉलोनी, राऊ, जिला इन्दौर मध्यप्रदेश हूँ. मेरा नाम छाया बिपिन कुमार सिन्हा भी है. मेरे पुत्र मयुर पिता बिपिन कुमार सिन्हा, मेरी पुत्री करिश्मा पिता बिपिन कुमार सिन्हा दूसरी पुत्री कश्मिरा पिता बिपिन कुमार सिन्हा. मेरे तीनों बच्चों के जन्म प्रमाण-पत्रों में माता के नाम के स्थान पर छाया पति बिपिन कुमार सिन्हा दर्ज हैं. उपरोक्त दोनों नाम अर्थात् छाया पति बिपिन कुमार सिन्हा और परमिन्दर कौर सिन्हा मेरे ही नाम है. वर्तमान में मुझे श्रीमती परमिन्दर कौर सिन्हा के नाम से जाना जाता है.

पुराना नाम :

( छाया )

(298-बी.)

नया नाम :

( परमिन्दर कौर )

पति-बिपिन कुमार सिन्हा.

**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र अभिषेक सोनी एवं पुत्री अर्पिता सोनी जिनके बर्थ सर्टिफिकेट एवं स्कूल में उनके पिता का नाम राजकुमार सोनी लिखा गया है. जो कि मेरा नाम राजू सोनी भी है जो कि दोनों नाम मेरे ही है लेकिन मेरे द्वारा आगे से अभिषेक सोनी एवं अर्पिता सोनी के पिता का नाम राजू सोनी के नाम से जाना जाये.

पुराना नाम :

( राजकुमार सोनी )

(299-बी.)

नया नाम :

( राजू सोनी )

18, मोतीलाल मार्केट लखेरापुरा,  
भोपाल (म.प्र.).**आम सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स शुक्ला कन्स्ट्रक्शन कम्पनी कैलारस भागीदारी फर्म जिसका रजिस्ट्रार ऑफ फर्म की रजिस्ट्री की अभिस्वीकृति का क्रमंक ए. आर. जी./फर्म/60/सन् 2004-05 दिनांक 22 नवम्बर, 2004 है, में दिनांक 10-08-02-2015 से भागीदार (1) श्री जीवनलाल पुत्र स्व. श्री मुरलीधर शुक्ला, निवासी पी. डब्ल्यू. डी. डांक बंगला के पास, एम. एस. रोड, कैलारस, जिला मुँरैना, (2) संदीप शुक्ला पुत्र श्री जीवन लाल शुक्ला, निवासी पी. डब्ल्यू. डी. डांक बंगला के पास, एम. एस. रोड, कैलारस, जिला मुँरैना, (म. प्र.), (3) श्री गजाधर प्रसाद शर्मा पुत्र स्व. श्री मुरलीधन शर्मा, निवासी पुराना जौरा, अलापुर, जिला मुँरैना, (4) दिलीप कुमार शुक्ला पुत्र श्री श्रीधर लाल शुक्ला, निवासी पी. डब्ल्यू. डी. डांक बंगला के पास, एम. एस. रोड, कैलारस, जिला मुँरैना (म.प्र.), (5) श्री जगदीश प्रसाद शुक्ला पुत्र स्व. श्री रामसिंह शुक्ला, निवासी ग्राम नेपरी, तहसील कैलारस, जिला मुँरैना (म.प्र.) एवं (6) श्री बनवारी लाल शुक्ला पुत्र श्री जीवनलाल शुक्ला, निवासी पी. डब्ल्यू. डी. डांक बंगला के पास, एम. एस. रोड, कैलारस, जिला मुँरैना, (म. प्र.), अपनी स्वेच्छा से पृथक् हो गए हैं तथा इसी दिनांक 10 अगस्त, 2015 से नये भागीदारी के रूप में (1) श्री गगन शुक्ला पुत्र श्री बनवारी शुक्ला, निवासी पी. डब्ल्यू. डी. डांक बंगला के पास, एम. एस. रोड, कैलारस, जिला मुँरैना, (2) श्री रामसुमेर शुक्ला पुत्र श्री दाताराम शुक्ला, निवासी पहाड़गढ़ रोड कैलारस, जिला मुँरैना (म.प्र.) एवं (3) श्री विक्रम सिंह सिकरवार पुत्र श्री गजराज सिंह सिकरवार, निवासी विस्मिल नगर, मुँरैना मध्यप्रदेश नये भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

फर्म—शुक्ला कन्स्ट्रक्शन कम्पनी

बैजनाथ शुक्ला;

पी. डब्ल्यू. डी. डांक बंगले के पास, एम. एस. रोड,  
कैलारस, जिला मुँरैना, (म. प्र.)

द्वारा—हेमन्त सिरसट (करसलाहकार),

सौगानी एण्ड कम्पनी, लोहिया बाजार,  
लशकर, ग्वालियर.

(296-बी.)

**PUBLIC NOTICE****NOTIFICATION U/s 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932**

It is published for general information that SHRI ATUL KANKARIA S/o SHRI PUSHRAJ KANKARIA, AGED 40 YEARS, R/o 604, SNEH NAGAR, INDORE, TEH. AND DIST. INDORE (M.P.) has retired on 15-11-2014 from the firm "M/S SAMANVYA BUILDCON", 101, CENTER POINT, SAPNA SANGEETA ROAD, INDORE, TH. & DIST. INDORE (M.P.).

For: M/s SAMANVYA BUILDCON  
(HUKUMCHAND SINGHAL)

(290-B.)

(Partner).

## मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 10 जुलाई, 2015

जिला मलेरिया अधिकारी लिखित परीक्षा-2012 परीक्षा, दिनांक 31 मई, 2015 (रविवार) लिखित परीक्षा परिणाम

(साक्षात्कार हेतु मय प्रमाण-पत्रों के अनुप्रमाणन फॉर्म, व्यक्तिगत विवरण फॉर्म एवं आवेदन-पत्र आयोग में जमा करने की अंतिम तिथि 11 अगस्त, 2015 है एवं साक्षात्कार की तिथि पृथक से घोषित की जाएगी)

वि. क्र. 605/19/2015/अनु.-10.—विज्ञापन क्रमांक-03/चयन/2012/31 दिसम्बर, 2012, ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 फरवरी, 2013 मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत जिला मलेरिया अधिकारी के 42 पदों हेतु जिला मलेरिया अधिकारी लिखित परीक्षा-2012 परीक्षा, दिनांक 31 मई, 2015 (रविवार) परीक्षा केन्द्र केवल इन्दौर पर आयोजित की गई थी. उपरोक्त परीक्षा में कुल-1287 ऑनलाईन आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे. जिन्हें लिखित परीक्षा में प्रवेश-पत्र जारी किये गये. इस परीक्षा में कुल 880 आवेदक उपस्थित हुये एवं लिखित परीक्षा परिणाम में 140 आवेदक साक्षात्कार हेतु अर्ह पाये गये, इनमें श्रेणीवार अर्ह अनारक्षित-84, अनुसूचित जाति-05, अनुसूचित जनजाति-24 व अन्य पिछड़ा वर्ग-27 हैं व भूतपूर्व सैनिक निरंक है. इनमें कुल महिला-45, निःशक्तजन-06 (अस्थिबाधित), समान अंक-14 है. यह स्पष्ट किया जाता है कि मुद्रण की त्रुटियों के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा एवं आयोग कार्यालय में रखी परीक्षाफल की सूची ही प्रमाणिक मानी जाएगी.

2. जिला मलेरिया अधिकारी लिखित परीक्षा-2012 परीक्षा, दिनांक 31 मई, 2015 (रविवार), के सभी प्रवधिक अर्ह अभ्यर्थियों हेतु अनुप्रमाणन फार्म एवं व्यक्तिगत विवरण फार्म आयोग की वेबसाईट [www.mppsc.com](http://www.mppsc.com), [www.mppscdemo.in](http://www.mppscdemo.in) एवं [www.mppsc.nic.in](http://www.mppsc.nic.in) पर उपलब्ध है. प्राबधिक अर्ह अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अनुप्रमाणन फार्म एवं व्यक्तिगत विवरण फार्म डाउनलोड करके विधिवत भरकर अनुप्रमाणन फार्म (दो प्रतियों में) एवं व्यक्तिगत विवरण फार्म (पांच प्रतियों में) उसके साथ जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण-पत्र, निवास-प्रमाण-पत्र, विकलांगता प्रमाण-पत्र एवं परीक्षा के लिये भरे गए आवेदन-पत्र की प्रति अन्य समस्त प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित छायाप्रति सहित संलग्न कर दिनांक 11 अगस्त, 2015 तक आयोग कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें. जिन आवेदकों के अनुप्रमाणन फार्म अंतिम तिथि तक प्राप्त नहीं होंगे उनके विषय में यह माना जायेगा कि वे साक्षात्कार में भाग नहीं लेना चाह रहे हैं, उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी.
3. प्राबधिक अर्ह पाये गये आवेदकों के अनुप्रमाणित फार्म एवं अन्य अभिलेखों की सूक्ष्म जांच के उपरान्त ही आवेदन पत्र में दी गई अर्हता की जानकारी सही पाए जाने पर ही साक्षात्कार की पात्रता होगी. परीक्षा परिणाम की विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाईट पर दिनांक 10 जुलाई, 2015 से उपलब्ध है.

वंदना वैद्य,  
उप-सचिव.

(446)

इन्दौर, दिनांक 10 जुलाई, 2015

जिला मलेरिया अधिकारी लिखित परीक्षा-2012 परीक्षा, दिनांक 31 मई, 2015 (रविवार) लिखित परीक्षा परिणाम

(साक्षात्कार हेतु मय प्रमाण-पत्रों के अनुप्रमाणन फॉर्म, व्यक्तिगत विवरण पत्रक एवं आवेदन-पत्र आयोग में जमा करने की अंतिम तिथि 11 अगस्त, 2015 निर्धारित है साक्षात्कार की तिथि पृथक से घोषित की जाएगी)

वि. क्र. 605/19/2015/अनु.-10.—मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के विज्ञापन क्रमांक-03/चयन/2012, 31 दिसम्बर, 2012, अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के तहत जिला मलेरिया अधिकारी के कुल-42 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया था. जिसमें ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 फरवरी, 2013 निर्धारित थी. उपरोक्त पद हेतु लिखित परीक्षा-2012 दिनांक 31 मई, 2015 (रविवार), परीक्षा केन्द्र केवल इन्दौर पर आयोजित की गई थी. उपरोक्त लिखित परीक्षा में साक्षात्कार हेतु प्राबधिक अर्ह आवेदकों का परीक्षा परिणाम आयोग की विज्ञप्ति क्रमांक-605/19/2015/अनु.-10, दिनांक 10 जुलाई, 2015 द्वारा घोषित किया गया है. यह परिणाम आयोग कार्यालय के सूचना-पटल पर देखने के लिए उपलब्ध है तथा "रोजगार और निर्माण" के आगामी अंक में प्रकाशित किया जा रहा है. इसे आयोग की वेबसाईट [www.mppsc.com](http://www.mppsc.com), [www.mppscdemo.in](http://www.mppscdemo.in) एवं [www.mppsc.nic.in](http://www.mppsc.nic.in) पर देखा जा सकता है.

इस परीक्षा में कुल 1287 ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे, जिन्हें लिखित परीक्षा में प्रवेश-पत्र जारी किये गये. इस परीक्षा में कुल 880 आवेदक उपस्थित हुए एवं लिखित परीक्षा परिणाम में 140 आवेदक साक्षात्कार हुये अर्ह पाये गये, इनमें श्रेणीवार अर्ह अनारक्षित-84, अनुसूचित जाति-05, अनुसूचित जनजाति-24 व अन्य पिछड़ा वर्ग-27 हैं व भूतपूर्व सैनिक निरंक है. इनमें कुल महिला-45, विकलांग-06 (अ.बा.) समान अंक-14 है. यह स्पष्ट किया जाता है कि मुद्रण की त्रुटियों के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा एवं आयोग कार्यालय में रखी परीक्षाफल की सूची ही प्रमाणिक मानी जाएगी.

2. जिला मलेरिया अधिकारी लिखित परीक्षा-2012 परीक्षा, दिनांक 31 मई, 2015 (रविवार), के सभी प्रावधिक अर्ह अभ्यर्थियों हेतु अनुप्रमाणन फार्म एवं व्यक्तिगत विवरण फार्म आयोग की वेबसाईट [www.mppsc.com](http://www.mppsc.com), [www.mppscdemo.in](http://www.mppscdemo.in) एवं [www.mppsc.nic.in](http://www.mppsc.nic.in) पर उपलब्ध है. प्रावधिक अर्ह अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अनुप्रमाणन फार्म एवं व्यक्तिगत विवरण फार्म डाउनलोड करके विधिवत भरकर अनुप्रमाणन फार्म (तीन मूल प्रतियों में) एवं व्यक्तिगत विवरण फार्म (छः प्रतियों में एक मूल प्रति एवं पाँच छायाप्रति) उसके साथ जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण-पत्र, निवास-प्रमाण-पत्र, विकलांगता प्रमाण-पत्र एवं परीक्षा के लिये भरे गए आवेदन-पत्र की प्रति अन्य समस्त प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित छायाप्रति सहित संलग्न कर दिनांक 11 अगस्त, 2015 तक आयोग कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें. जिन आवेदकों के अभिलेख अंतिम तिथि तक प्राप्त नहीं होंगे उनके विषय में यह माना जायेगा कि वे साक्षात्कार में भाग नहीं लेना चाह रहे हैं, उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी.
3. प्रावधिक अर्ह पाये गये आवेदकों के अभिलेखों की सूक्ष्म जांच के उपरान्त ही आवेदन-पत्र में दी गई अर्हता की जानकारी सही पाए जाने पर ही साक्षात्कार की पात्रता होगी.
4. आवेदन-पत्र में त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, असत्य जानकारी देने अथवा अयोग की विज्ञप्ति द्वारा चाही गई वांछित औपचारिकताएं पूर्ण न करने के परिणामस्वरूप चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक को अनर्ह किया जावेगा.
5. लिखित परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को परीक्षा परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है.

परीक्षा परिणाम में अर्ह आवेदकों की सूची निम्नानुसार है:-

विज्ञापित रिक्तियों की संख्या

क्र.	विवरण	अना.	अजा.	अजजा.	अपिवर्ग	योग
(अ)	कुल रिक्तियों की संख्या	25	01	08	08	42
(ब)	कुल रिक्तियों में से निःशक्त के लिए आरक्षित रिक्तियां.	02 (अ.बा.)	-	-	-	-
(स)	कुल रिक्तियों में से भू.पू.सैनिक के लिए आरक्षित रिक्तियां.	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
(द)	कुल रिक्तियों में से महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्तियां.	08	-	02	02	12

क्र.	विवरण	अना.	अजा.	अजजा.	अपिवर्ग	योग
(अ)	कुल प्रावधिक अर्ह आवेदकों की संख्या	84	05	24	27	140
(ब)	कुल प्रावधिक अर्ह आवेदकों में से निःशक्त आवेदकों की संख्या.	06 (अ.बा.)	-	-	-	06
(स)	कुल प्रावधिक अर्ह आवेदकों में से भू.पू.सैनिकों की संख्या.	-	-	-	-	-
(द)	कुल प्रावधिक अर्ह आवेदकों में से महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध प्रावधिक अर्ह महिला आवेदकों की संख्या	27	-	10	08	45

**MADHYA PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION**  
**DIST. MALARIA OFFICER EXAM-2012**  
**ROLL NO. WISE LIST OF SELECTED CANDIDATES (PROVISIONAL)**

S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.
1.	100003	29.	100249	57.	100544	85.	100751	113.	101075
2.	100006	30.	100254	58.	100551	86.	100769	114.	101077
3.	100012	31.	100257	59.	100552	87.	100775	115.	101079
4.	100029	32.	100284	60.	100556	88.	100805	116.	101089
5.	100039	33.	100303	61.	100557	89.	100831	117.	101098
6.	100048	34.	100308	62.	100564	90.	100834	118.	101111
7.	100058	35.	100314	63.	100579	91.	100844	119.	101116
8.	100066	36.	100317	64.	100607	92.	100853	120.	101118
9.	100067	37.	100319	65.	100610	93.	100856	121.	101124
10.	100073	38.	100337	66.	100614	94.	100887	122.	101128
11.	100094	39.	100361	67.	100616	95.	100889	123.	101141
12.	100096	40.	100362	68.	100624	96.	100926	124.	101154
13.	100112	41.	100373	69.	100627	97.	100934	125.	101158
14.	100120	42.	100410	70.	100635	98.	100940	126.	101165
15.	100123	43.	100427	71.	100637	99.	100948	127.	101174
16.	100134	44.	100437	72.	100643	100.	100949	128.	101176
17.	100146	45.	100442	73.	100646	101.	100958	129.	101207
18.	100147	46.	100446	74.	100648	102.	100959	130.	101214
19.	100154	47.	100451	75.	100654	103.	100963	131.	101222
20.	100162	48.	100465	76.	100662	104.	100964	132.	101227
21.	100182	49.	100466	77.	100669	105.	100982	133.	101229
22.	100188	50.	100468	78.	100690	106.	100993	134.	101246
23.	100196	51.	100477	79.	100699	107.	101027	135.	101260
24.	100205	52.	100505	80.	100711	108.	101032	136.	101261
25.	100209	53.	100511	81.	100717	109.	101044	137.	101267
26.	100222	54.	100519	82.	100736	110.	101055	138.	101270
27.	100223	55.	100532	83.	100740	111.	101069	139.	101275
28.	100248	56.	100537	84.	100747	112.	101071	140.	101281

**महत्वपूर्ण टीप:—**

1. सूची में दर्शाये गये प्रत्याशियों का साक्षात्कार पूर्णतया प्रावधिक (प्रॉविजनल) है, यदि यह पाया गया कि प्रत्याशी उपरोक्त पदों हेतु विज्ञापन में अधिसूचित नियमों/शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं तो प्रत्याशी साक्षात्कार हेतु आयोग्य माने जाएंगे.
2. प्रावधिक अर्ह पाये गये आवेदकों के अनुप्रमाणित फार्म एवं अन्य अभिलेखों की सूक्ष्म जांच के उपरान्त ही साक्षात्कार आयोजित होंगे.
3. परीक्षा में प्रत्याशियों को प्रवेश से संबंधित शर्तों के अनुसार अपनी आयु, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र एवं अन्य समस्त प्रमाण-पत्र के समर्थन में मूल प्रमाण-पत्र की प्रमाणिक प्रतियां साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है.
4. आवेदन-पत्र में त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, असत्य जानकारी देने अथवा आयोग की विज्ञप्ति द्वारा चाही गई वांछित औपचारिकताएं पूर्ण न करने के परिणामस्वरूप चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक को अनर्ह किया जावेगा.
5. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं. अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन-पत्र भेजें. लिखित परीक्षा में सम्मिलित किये जाने या साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है. चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन-पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी.



6. प्रावधिक अर्ह प्रत्याशियों की सूची आयोग कार्यालय के सूचना-फलक पर देखने के लिए उपलब्ध है। यह स्पष्ट किया जाता है कि मुद्रण की त्रुटियों के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा एवं आयोग कार्यालय के सूचना-फलक पर चस्पा की गई प्रत्याशियों की सूची ही प्रमाणिक मानी जायेगी।
7. लिखित परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को परीक्षा परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।

आर. आर. कान्हेरे,  
परीक्षा नियंत्रक.

(447)

इन्दौर, दिनांक 28 जुलाई, 2015

**दन्त शल्य चिकित्सक लिखित परीक्षा-2013 परीक्षा, दिनांक 14 जून, 2015 ( रविवार ) लिखित परीक्षा परिणाम**

**( साक्षात्कार हेतु मय प्रमाण-पत्रों के अनुप्रमाणन फॉर्म, व्यक्तिगत विवरण फॉर्म एवं आवेदन-पत्र आयोग में जमा करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त, 2015 है साक्षात्कार तिथि पृथक से घोषित की जाएगी )**

वि. क्र. 784/24/2015/अनु.-10.—विज्ञापन क्रमांक-07-08/चयन/2013/26 सितम्बर, 2013, ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर, 2013 मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत दन्त शल्य चिकित्सक के 50 पदों हेतु दन्त शल्य चिकित्सक लिखित परीक्षा-2013 परीक्षा, दिनांक 14 जून, 2015 ( रविवार ) परीक्षा केन्द्र केवल इन्दौर पर आयोजित की गई थी। उपरोक्त परीक्षा में ऑनलाईन आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे, जिन्हें लिखित परीक्षा में प्रवेश-पत्र जारी किये गये। इस परीक्षा में कुल-1764 आवेदक उपस्थित हुए एवं लिखित परीक्षा परिणाम में 124 आवेदक साक्षात्कार हेतु अर्ह पाये गये, इनमें श्रेणीवार अर्ह अनारक्षित-36, अनुसूचित जाति-12, अनुसूचित जनजाति-55 व अन्य पिछड़ा वर्ग-21 हैं व भूतपूर्व सैनिक निरंक हैं। इनमें कुल महिला-60, निःशक्तजन-03 (अस्थिबाधित) समान अंक-03 है। यह स्पष्ट किया जाता है कि मुद्रण की त्रुटियों के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा एवं आयोग कार्यालय में रखी परीक्षाफल की सूची ही प्रमाणिक मानी जाएगी।

2. दन्त शल्य चिकित्सक लिखित परीक्षा-2013 परीक्षा, दिनांक 14 जून, 2015 ( रविवार ), के सभी प्रावधिक अर्ह अभ्यर्थियों हेतु अनुप्रमाणन फार्म एवं व्यक्तिगत विवरण फार्म आयोग की वेबसाइट [www.mppsc.com](http://www.mppsc.com), [www.mppscdemo.in](http://www.mppscdemo.in) एवं [www.mppsc.nic.in](http://www.mppsc.nic.in) पर उपलब्ध है। प्रावधिक अर्ह अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अनुप्रमाणन फार्म एवं व्यक्तिगत विवरण फार्म डाउनलोड करके विधिवत भरकर अनुप्रमाणन फार्म (एक प्रति) एवं व्यक्तिगत विवरण फार्म (एक प्रति) उसके साथ जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण-पत्र, निवास-प्रमाण-पत्र, विकलांगता प्रमाण-पत्र एवं परीक्षा के लिये भरे गए आवेदन-पत्र की प्रति अन्य समस्त प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित छायाप्रति सहित संलग्न कर दिनांक 31 अगस्त, 2015 तक आयोग कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें। जिन आवेदकों के अनुप्रमाणन फार्म अंतिम तिथि तक प्राप्त नहीं होंगे उनके विषय में यह माना जायेगा कि वे साक्षात्कार में भाग नहीं लेना चाह रहे हैं, उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
3. प्रावधिक अर्ह पाये गये आवेदकों के अनुप्रमाणित फार्म एवं अन्य अभिलेखों की सूक्ष्म जांच के उपरान्त ही आवेदन पत्र में दी गई अर्हता की जानकारी सही पाए जाने पर ही साक्षात्कार की पात्रता होगी। साक्षात्कार की तिथि पृथक से घोषित की जायेगी। परीक्षा परिणाम की विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 30 जुलाई, 2015 से उपलब्ध है।

वंदना वैद्य,  
उप-सचिव.

(450)

इन्दौर, दिनांक 28 जुलाई, 2015

**दन्त शल्य चिकित्सक लिखित परीक्षा-2013 परीक्षा, दिनांक 14 जून, 2015 ( रविवार ) लिखित परीक्षा परिणाम**

**( साक्षात्कार हेतु मय प्रमाण-पत्रों के अनुप्रमाणन फॉर्म, व्यक्तिगत विवरण पत्रक, आवेदन-पत्र आयोग में जमा करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त, 2015 निर्धारित है साक्षात्कार तिथि पृथक से घोषित की जाएगी )**

वि. क्र. 784/24/2015/अनु.-10.—मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के विज्ञापन क्रमांक-07/08/चयन/2013, 26 सितम्बर, 2013, अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के तहत दन्त शल्य चिकित्सक के कुल-50 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। जिसमें ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर, 2013 निर्धारित थी। उपरोक्त पद हेतु दन्त शल्य चिकित्सक लिखित परीक्षा-2013 दिनांक 14 जून, 2015 ( रविवार ) परीक्षा केन्द्र केवल इन्दौर पर आयोजित की गई थी। उपरोक्त लिखित परीक्षा में साक्षात्कार हेतु प्रावधिक अर्ह आवेदकों का परीक्षा परिणाम आयोग की विज्ञापित क्रमांक-784/24/2015/अनु.-10, दिनांक 28 जुलाई, 2015 द्वारा घोषित किया गया है। यह परिणाम

आयोग कार्यालय के सूचन-पटल पर देखने के लिए उपलब्ध है तथा "रोजगार और निर्माण" के आगामी अंक में प्रकाशित किया जा रहा है। इसे आयोग की वेबसाईट [www.mppsc.com](http://www.mppsc.com), [www.mppscdemo.in](http://www.mppscdemo.in) एवं [www.mppsc.nic.in](http://www.mppsc.nic.in) पर देखा जा सकता है।

इस परीक्षा में ऑनलाईन आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे, जिन्हें लिखित परीक्षा में प्रवेश-पत्र जारी किये गये। इस परीक्षा में कुल 1764 आवेदक उपस्थित हुए एवं लिखित परीक्षा परिणाम में 124 आवेदक साक्षात्कार हेतु अर्ह पाये गये, इनमें श्रेणीवार अर्ह अनारक्षित-36, अनुसूचित जाति-12, अनुसूचित जनजाति-55 व अन्य पिछड़ा वर्ग-21 हैं व भूतपूर्व सैनिक निरंक हैं। इनमें कुल महिला-60, निःशक्त-03 (अ.बा.) समान अंक-03 है। यह स्पष्ट किया जाता है कि मुद्रण की त्रुटियों के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा एवं आयोग कार्यालय में रखी परीक्षाफल की सूची ही प्रमाणिक मानी जाएगी।

- दन्त शल्य चिकित्सक लिखित परीक्षा-2013, परीक्षा, दिनांक 14 जून, 2015 (रविवार), के सभी प्रावधिक अर्ह अभ्यर्थियों हेतु अनुप्रमाणन फार्म एवं व्यक्तिगत विवरण फार्म आयोग की वेबसाईट [www.mppsc.com](http://www.mppsc.com), [www.mppscdemo.in](http://www.mppscdemo.in) एवं [www.mppsc.nic.in](http://www.mppsc.nic.in) पर उपलब्ध है। प्रावधिक अर्ह अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अनुप्रमाणन फार्म एवं व्यक्तिगत विवरण फार्म डाउनलोड करके विधिवत भरकर अनुप्रमाणन फार्म (एक प्रति) एवं व्यक्तिगत विवरण फार्म (एक प्रति) उसके साथ जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण-पत्र, निवास-प्रमाण-पत्र, विकलांगता प्रमाण-पत्र एवं परीक्षा के लिये भरे गए आवेदन-पत्र की प्रति अन्य समस्त प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित छायाप्रति सहित संलग्न कर दिनांक 31 अगस्त, 2015 तक आयोग कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें। जिन आवेदकों के अभिलेख अंतिम तिथि तक प्राप्त नहीं होंगे उनके विषय में यह माना जायेंगा कि वे साक्षात्कार में भाग नहीं लेना चाह रहे हैं, उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
- प्रावधिक अर्ह पाये गये आवेदकों के अभिलेखों की सूक्ष्म जांच के उपरान्त ही आवेदन-पत्र में दी गई अर्हता की जानकारी सही पाए जाने पर ही साक्षात्कार की पात्रता होगी।
- आवेदन-पत्र में त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, असत्य जानकारी देने अथवा आयोग की विज्ञप्ति द्वारा चाही गई वांछित औपचारिकताएं पूर्ण न करने के परिणामस्वरूप चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक को अनर्ह किया जावेगा।
- लिखित परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को परीक्षा परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।

परीक्षा परिणाम में अर्ह आवेदकों की सूची निम्नानुसार है:-

विज्ञापित रिक्तियों की संख्या

क्र.	विवरण	अना.	अजा.	अजजा.	अपिर्वर्ग	योग
(अ)	कुल रिक्तियों की संख्या	12	04	28	06	50
(ब)	कुल रिक्तियों में से निःशक्त के लिए आरक्षित रिक्तियां.	01 (अ.बा.)	-	-	-	01
(स)	कुल रिक्तियों में से भू. पू. सैनिक के लिए आरक्षित रिक्तियां.	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
(द)	कुल रिक्तियों में से महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्तियां.	04	01	08	02	15

क्र.	विवरण	अना.	अजा.	अजजा.	अपिर्वर्ग	योग
(अ)	कुल प्रावधिक अर्ह आवेदकों की संख्या	36	12	55	21	124
(ब)	कुल प्रावधिक अर्ह आवेदकों में से निःशक्त आवेदकों की संख्या.	-	-	-	-	03 (अ.बा.)
(स)	कुल प्रावधिक अर्ह आवेदकों में से भू. पू. सैनिक की संख्या.	-	-	-	-	-
(द)	कुल प्रावधिक अर्ह आवेदकों में से महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध प्रावधिक अर्ह महिला आवेदकों की संख्या	18	06	30	06	60

**MADHYA PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION**  
**DENTAL SURGEON WRITTEN EXAM 2013**  
**ROLL NO. WISE LIST OF SELECTED CANDIDATE (PROVISIONAL)**

S.No.	Roll No.	Name
1	2	3
1.	100001	DHARAMWEER MARKO
2.	100045	SHUBHANJALI BANSOD
3.	100059	AMIT KUMAR GOYAL
4.	100062	AARTI SONKESRIYA
5.	100103	SHWETA PANDEY
6.	100104	HARSHA ARORA
7.	100109	RUMIKA RAO
8.	100122	ROHIT SONI
9.	100132	KSHITIJ CHAURASIA
10.	100174	NITIN PRABHAKAR KARWET
11.	100199	NARESH ALAWE
12.	100201	DR. SHRADDHA CHOUDHARY
13.	100203	PRATIBHA AHIRWAR
14.	100207	RAJESH WASKLE
15.	100226	RAJAT DUBEY
16.	100247	DEEPA MEENA
17.	100248	SONAL DAGA
18.	100252	DR. DINESH KUMAR MADAV
19.	100274	AKHILESH GURJAR
20.	100281	ANAMIKA SINGH
21.	100292	ANISHA JIRATI
22.	100322	DEVASHISH MARSKOLEY
23.	100333	BHUPENDRA SINGH
24.	100335	SAURABH KHATTAR
25.	100357	RUCHIKA LATHER
26.	100358	ADITYA DAYMA
27.	100363	PRIYANK BHAGAT
28.	100394	PALLAVI PARMANAND PETK
29.	100402	SANTOSH KUMAR DHURVE
30.	100423	SONAL ARYA
31.	100446	HEERALAL CHOKOTIYA
32.	100461	DR. SHILPI AWADHIYA
33.	100465	DIVASHREE SHARMA
34.	100486	CHANDNI RIMJHA
35.	100492	ASHWINI UIKEY
36.	100500	APURVA FULWARE

1	2	3
37.	100507	SUSHEEL KUMAR CHOURASI
38.	100525	RAHUL RATHORE
39.	100531	SUCHITA NAIK
40.	100535	ANAMIKA ARORA
41.	100546	DILIP SEPTA
42.	100572	ALKA PARTE
43.	100574	CHETNA BATHAM
44.	100619	ARCHANA SHARMA
45.	100626	SAURABH RATHORE
46.	100630	VARSHA RANI VARME
47.	100650	ALKA TOMAR
48.	100661	DR.AKHILESH SINGHAL
49.	100728	BHARAT SINGH RAWAT
50.	100744	ASHISH KUMAR RATHORE
51.	100803	MAMTA LAKRA
52.	100807	SWAPNIL KAKORYA
53.	100841	ASHOK PANIKA
54.	100847	RUPAL PATLE
55.	100862	BHANENDRA KUMAR SUMAN
56.	100864	DIVYA SINGH HADA
57.	100901	RUDRA KUMAR GUPTA
58.	100937	SANDHYA CHAURASIYA
59.	100950	VINOD PARMAR
60.	100966	PREETI BALA IVNATI
61.	100975	RANI MARAVI
62.	100977	RASHMI CHOUHAN -
63.	100987	ALPANA GUPTA
64.	101032	AVINASH PATIDAR
65.	101036	KALPANA DHURWAY
66.	101044	DEEPTI NAGLE
67.	101054	AJAY KATARA
68.	101072	SACHIN KUMAR MALAIYA
69.	101151	SWAPNVIJAY UIKEY
70.	101179	ROOP KUMAR NIRMAL
71.	101199	MANJULA BHATPAGAR
72.	101200	SEEMA PATIDAR
73.	101204	SMITA PARATE
74.	101220	SONIA PRADHAN
75.	101229	PREETI BALA PANDRE
76.	101249	DINESH KANNOJE

1	2	3
77.	101252	SHUDDHODHAN GAIKWAD
78.	101279	ANTUSH MITTAL
79.	101287	PRANJAL NAGAR
80.	101291	BHUPENDRA SINGH CHOUHA
81.	101297	KAMLESH IRPACHI
82.	101304	TRAPTI GUPTA
83.	101317	AFSAR ALI
84.	101319	ARUN DEV SHARMA
85.	101365	SUJEET VERMA
86.	101370	ASHUTOSH SHARMA
87.	101377	VIJAY BHAN SINGH
88.	101385	JAYA JAIN
89.	101459	ARUN VERMA
90.	101515	HARSH VIBHOR BHARTI
91.	101521	PRADEEP KASHYAP
92.	101541	NISHTHA AGRAWAL
93.	101549	PANKAJ SINGH AWASYA
94.	101561	ANUBHUTI ALAWA
95.	101570	GOVIND RAWAT
96.	101587	VIJAYLAXMI BALKE
97.	101588	SHIVAM CHAURASIA
98.	101606	AAKASH SHARMA
99.	101625	GHANSHYAM GAUR
100.	101642	DHARMENDRA KANORIYA
101.	101656	NEHA MANSORIYA
102.	101692	NAKUL PATIDAR
103.	101698	MANISH RAWAT
104.	101707	SWEETY TIRKEY
105.	101710	SANGEETA SOLANKI
106.	101713	SHAIL KUMARI
107.	101716	SHAIWYA SALAM
108.	101726	DEVENDRA SINGH RATHORE
109.	101809	SHWETA NAIK
110.	101822	AAKRATI PRASAD
111.	101835	VARSHA URAITI
112.	101840	SANJAY RAGHAV
113.	101875	RITU PATEL
114.	101877	DHIRAJ DUFARE
115.	101931	RICHA MISHRA
116.	101933	SHASHI BHUSHAN
117.	101965	RUCHIRA UIKEY

1	2	3
118.	102011	PARAS KUMAR RAWAT
119.	102020	ANJUL AGRAWAL
120.	102032	BRAJESH PATIDAR
121.	102034	SURANGANA GUPTA
122.	102045	BHARTI TILGAM
123.	102058	SWAPNIL KUMAR TAMRAKAR
124.	102071	DIVYA SAHU

**महत्वपूर्ण टीप:—**

1. सूची में दर्शाये गये प्रत्याशियों का साक्षात्कार पूर्णतया प्रावधिक (प्रॉविजनल) है, यदि यह पाया गया कि प्रत्याशी उपरोक्त पदों हेतु विज्ञापन में अधिसूचित नियमों/शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं तो प्रत्याशी साक्षात्कार हेतु अयोग्य माने जाएंगे।
2. प्रावधिक अर्ह पाये गये आवेदकों के अनुप्रमाणित फॉर्म एवं अन्य अभिलेखों की सूक्ष्म जांच के उपरान्त ही साक्षात्कार आयोजित होंगे।
3. परीक्षा में प्रत्याशियों को प्रवेश से संबंधित शर्तों के अनुसार अपनी आयु, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र एवं अन्य समस्त प्रमाण-पत्र के समर्थन में मूल प्रमाण-पत्र की प्रमाणिक प्रतियाँ साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
4. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन-पत्र भेजें। लिखित परीक्षा में सम्मिलित किये जाने या साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन-पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी।
5. न्यायालयीन प्रकरणों का अंतिम चयन परिणाम माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन रहेगा।
6. प्रावधिक अर्ह प्रत्याशियों की सूची आयोग कार्यालय के सूचना-फलक पर देखने के लिए उपलब्ध है। यह स्पष्ट किया जाता है कि मुद्रण की त्रुटियों के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा एवं आयोग कार्यालय के सूचना-फलक पर चस्पा की गई प्रत्याशियों की सूची ही प्रमाणिक मानी जायेगी।

आर. आर. काहरे,  
परीक्षा नियंत्रक.

(451)

इन्दौर, दिनांक 05 अगस्त, 2015

**सहायक संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास (क्षेत्र विस्तार) लिखित परीक्षा-2013,**

**परीक्षा, दिनांक 24 मई, 2015 (रविवार) लिखित परीक्षा परिणाम**

**(साक्षात्कार हेतु मय प्रमाण-पत्रों के अनुप्रमाणन फॉर्म, व्यक्तिगत विवरण फॉर्म एवं आवेदन-पत्र आयोग में जमा करने की अंतिम तिथि 07 सितम्बर, 2015 है. साक्षात्कार तिथि पृथक् से घोषित की जाएगी)**

वि. क्र. 800/18/2015/अनु.-10.—विज्ञापन क्रमांक-01/चयन/2013/06 मई, 2013, ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 मई, 2013 मध्यप्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के अन्तर्गत सहायक संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास (क्षेत्र विस्तार) के 130 पदों हेतु सहायक संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास (क्षेत्र विस्तार) लिखित परीक्षा-2013, परीक्षा, दिनांक 24 मई, 2015 (रविवार) परीक्षा केन्द्र केवल इन्दौर पर आयोजित की गई थी। उपरोक्त परीक्षा में कुल 3375 ऑनलाईन आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे। जिन्हें लिखित परीक्षा में प्रवेश-पत्र जारी किये गये। इस परीक्षा में कुल 2749 आवेदक उपस्थित हुए एवं लिखित परीक्षा परिणाम में 437 आवेदक साक्षात्कार हेतु अर्ह पाये गये, इनमें श्रेणीवार अर्ह अनारक्षित-204, अनुसूचित जाति-72, अनुसूचित जनजाति-104 व अन्य पिछड़ा वर्ग-57 हैं व भूतपूर्व सैनिक निरंक हैं। इनमें कुल महिला-126, निःशक्त-अ. बा.-01, श्र. बा.-17, दू. बा.-13 कम पाये गये एवं समान अंक-47 हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि मुद्रण की त्रुटियों के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा एवं आयोग कार्यालय में रखी परीक्षाफल की सूची ही प्रमाणिक मानी जाएगी।

2. सहायक संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास (क्षेत्र विस्तार) लिखित परीक्षा-2013, परीक्षा, दिनांक 24 मई, 2015 (रविवार), के सभी प्रावधिक अर्ह अभ्यर्थियों हेतु अनुप्रमाणन फॉर्म एवं व्यक्तिगत विवरण फॉर्म आयोग की वेबसाईट

www.mppsc.com, www.mppscdemo.in एवं www.mppsc.nic.in पर उपलब्ध है। प्रावधिक अर्ह अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अनुप्रमाणन फॉर्म एवं व्यक्तिगत विवरण फॉर्म डाउनलोड करके विधिवत भरकर अनुप्रमाणन फार्म (एक प्रति) एवं व्यक्तिगत विवरण फॉर्म (एक प्रति में) उसके साथ जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण-पत्र, निवास-प्रमाण-पत्र, विकलांगता प्रमाण-पत्र एवं परीक्षा के लिये भरे गए आवेदन-पत्र की प्रति अन्य समस्त प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित छायाप्रति सहित संलग्न कर दिनांक 07 सितम्बर, 2015 तक आयोग कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें। जिन आवेदकों के अनुप्रमाणन फॉर्म अंतिम तिथि तक प्राप्त नहीं होंगे उनके विषय में यह माना जायेगा कि वे साक्षात्कार में भाग नहीं लेना चाह रहे हैं, उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

3. प्रावधिक अर्ह पाये गये आवेदकों के अनुप्रमाणित फॉर्म एवं अन्य अभिलेखों की सूक्ष्म जांच के उपरान्त ही आवेदन-पत्र में दी गई अर्हता की जानकारी सही पाए जाने पर ही साक्षात्कार की पात्रता होगी। साक्षात्कार तिथि पृथक् से घोषित की जायेगी। परीक्षा परिणाम की विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 05 अगस्त, 2015 से उपलब्ध है।

चंदना वैद्य,  
उप-सचिव।

(452)

इन्दौर, दिनांक 05 अगस्त, 2015

**सहायक संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास (क्षेत्र विस्तार) लिखित परीक्षा-2013,**

**परीक्षा, दिनांक 24 मई, 2015 (रविवार) लिखित परीक्षा परिणाम**

**(साक्षात्कार हेतु मय प्रमाण-पत्रों के अनुप्रमाणन फॉर्म, व्यक्तिगत विवरण पत्रक आवेदन-पत्र आयोग में जमा करने की अंतिम तिथि 07 सितम्बर, 2015 निर्धारित है। साक्षात्कार तिथि पृथक् से घोषित की जाएगी)**

वि. क्र. 800/18/2015/अनु.-10.—मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के विज्ञापन क्रमांक-01/चयन/2013, 06 मई, 2013, के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के अन्तर्गत सहायक संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास (क्षेत्र विस्तार) के कुल 130 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। जिसमें ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि 30-05-2013 निर्धारित थी। उपरोक्त पद हेतु सहायक संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास (क्षेत्र विस्तार) लिखित परीक्षा-2013, परीक्षा, दिनांक 24-05-2015 (रविवार) परीक्षा केन्द्र केवल इन्दौर पर आयोजित की गई थी। उपरोक्त लिखित परीक्षा में साक्षात्कार हेतु प्रावधिक अर्ह आवेदकों का परीक्षा परिणाम आयोग की विज्ञापित क्रमांक-800/18/2015/अनु.-10, दिनांक 05 अगस्त, 2015 द्वारा घोषित किया गया है। यह परिणाम आयोग कार्यालय के सूचन-पटल पर देखने के लिए उपलब्ध है तथा "रोजगार और निर्माण" के आगामी अंक में प्रकाशित किया जा रहा है। इसे आयोग की आयोग की वेबसाइट [www.mppsc.com](http://www.mppsc.com), [www.mppscdemo.in](http://www.mppscdemo.in) एवं [www.mppsc.nic.in](http://www.mppsc.nic.in) पर देखा जा सकता है।

इस परीक्षा में कुल 3375 ऑनलाईन आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे, जिन्हें लिखित परीक्षा में प्रवेश-पत्र जारी किये गये। इस परीक्षा में कुल 2749 आवेदक उपस्थित हुए एवं लिखित परीक्षा परिणाम में 437 आवेदक साक्षात्कार हेतु अर्ह पाये गये, इनमें श्रेणीवार अर्ह अनारक्षित-204, अनुसूचित जाति-72, अनुसूचित जनजाति-104 व अन्य पिछड़ा वर्ग-57 हैं व भूतपूर्व सैनिक निरंक हैं। इनमें कुल महिला-126, निःशक्त-अ. बा.-01, श्र. बा.-17, दृ. बा.-13 कम पाये गये एवं समान अंक-47 है। यह स्पष्ट किया जाता है कि मुद्रण की त्रुटियों के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा एवं आयोग कार्यालय में रखी परीक्षाफल की सूची ही प्रमाणिक मानी जाएगी।

2. सहायक संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास (क्षेत्र विस्तार) लिखित परीक्षा-2013, परीक्षा, दिनांक 24-05-2015 (रविवार) के सभी प्रावधिक अर्ह अभ्यर्थियों हेतु अनुप्रमाणन फॉर्म एवं व्यक्तिगत विवरण फॉर्म आयोग की वेबसाइट [www.mppsc.com](http://www.mppsc.com), [www.mppscdemo.in](http://www.mppscdemo.in) एवं [www.mppsc.nic.in](http://www.mppsc.nic.in) पर उपलब्ध है। प्रावधिक अर्ह अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अनुप्रमाणन फॉर्म एवं व्यक्तिगत विवरण फॉर्म डाउनलोड करके विधिवत भरकर अनुप्रमाणन फॉर्म (एक प्रति) एवं व्यक्तिगत विवरण फॉर्म (एक प्रति) उसके साथ जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण-पत्र, निवास-प्रमाण-पत्र, विकलांगता प्रमाण-पत्र एवं परीक्षा के लिये भरे गए आवेदन-पत्र की प्रति अन्य समस्त प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित छायाप्रति सहित संलग्न कर दिनांक 07 सितम्बर, 2015 तक आयोग कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें। जिन आवेदकों के अभिलेख अंतिम तिथि तक प्राप्त नहीं होंगे उनके विषय में यह माना जायेगा कि वे साक्षात्कार में भाग नहीं लेना चाह रहे हैं, उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
3. प्रावधिक अर्ह पाये गये आवेदकों के अभिलेखों की सूक्ष्म जांच के उपरान्त ही आवेदन-पत्र में दी गई अर्हता की जानकारी सही पाए जाने पर ही साक्षात्कार की पात्रता होगी।

4. आवेदन-पत्र में त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, असत्य जानकारी देने अथवा आयोग की विज्ञप्ति द्वारा चाही गई वांछित औपचारिकताएं पूर्ण न करने के परिणामस्वरूप चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक को अनर्ह किया जावेगा.
5. लिखित परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को परीक्षा परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है.

परीक्षा परिणाम में अर्ह आवेदकों की सूची निम्नानुसार है:-

**विज्ञापित रिक्तियों की संख्या**

क्र.	विवरण	अना.	अजा.	अजजा.	अपिवर्ग	योग
(अ)	कुल रिक्तियों की संख्या	60	21	32	17	130
(ब)	रिक्तियों में से निःशक्त जन के लिए आरक्षित रिक्तियाँ.					
	अ.बा.	04	02	01	01	08
	श्र.बा.	04	01	01	01	07
	दृ.बा.	03	01	01	02	07
(स)	कुल रिक्तियों में से भू. पू. सैनिक के लिए आरक्षित रिक्तियाँ.	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
(द)	कुल रिक्तियों में से महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्तियाँ.	18	06	09	06	39

**MADHYA PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION**  
**ASSISTANT DIRECTOR AGRICULTURE EXAMINATION- 2013**  
**ROLL NO. WISE LIST OF SELECTED CANDIDATE (PROVISIONAL)**

S.No.	Roll No.	Name	
1	2	3	
1.	100005	ANJULA PARMAR	
2.	100007	PAN SINGH KAUSHAL	
3.	100010	ANIL KUMAR JAT	
4.	100034	NEELAM BISEN	UNDER COURT DECISION
5.	100054	ASHOK CHOUHAN	
6.	100077	DUSHYANT KUMAR	
7.	100081	ANJULI BORJA	UNDER COURT DECISION
8.	100084	KAMLESH KUMAR SOLANKI	
9.	100086	PANKAJ KUMAR MISHRA	
10.	100091	DINESH WASKE	
11.	100094	PRIYANKA MESHARAM	
12.	100096	RAJNI DISHORIYA	
13.	100105	ARADHANA SINGH	
14.	100134	SANT KUMAR SHARMA	
15.	100135	SEEMA DEHARIYA	
16.	100138	RAMESHCHANDRA THAKUR	
17.	100156	LAXMAN SINGH NINGWAL	



1	2	3	
18.	100172	SHIVRAJ SINGH PARMAR	
19.	100182	VIJAY PAL	
20.	100183	AMRITA BADKUL	
21.	100184	NEHA GHODESHWAR	
22.	100205	NISHA BHADAURIA	
23.	100220	ANJALI PATEL	
24.	100224	ARPITA SHRIVASTAVA	
25.	100236	SHYAMACHARAN UPAWANSHI LO	
26.	100240	SWATI GOLHANI	
27.	100242	KAMLESH VERMA	UNDER COURT DECISION
28.	100245	VISHNU GOTHI	
29.	100257	GHANSHYAM BHOUTEKAR	
30.	100264	HIRALAL HATILA	
31.	100265	SAWAL SINGH GADRIYA	
32.	100279	SUMIT KUMAR CHAUHAN	
33.	100291	RITESH NARNAWARE	
34.	100294	VINOD KUMAR JATAV	
35.	100296	MAL SINGH DHARWE	
36.	100297	POOJA PASI	
37.	100299	PRABESH KUMAR	
38.	100312	DEEPAK CHOUHAN	
39.	100319	RANJEET SINGH BHABAR	
40.	100327	VIPIN SHARMA	
41.	100335	BHAKTRAJ PANWAR	
42.	100338	ABHILASHA SHARMA	
43.	100348	SURSING MORE	
44.	100349	RAJ BAHADUR PATEL	UNDER COURT DECISION
45.	100355	JAGANSINGH NAWADE	
46.	100361	MEENAKSHI KEWAT	
47.	100368	DINESH KUMAR OSARI	
48.	100378	RAGHVENDRA SINGH RATHORE	
49.	100396	JYOTI BHARGAVA	
50.	100398	UTTAM SINGH BAGRI	
51.	100408	MEHTAB SINGH CHOUHAN	
52.	100412	NAGEEN VERMA	
53.	100414	MANSHARAM AWASYA	
54.	100419	DEEPAK KHANDE	
55.	100420	SHWETA MASRAM	UNDER COURT DECISION
56.	100441	DAWAR HARESINGH	
57.	100446	POONAM SONI	
58.	100465	SARVJAYA KOKODEY	UNDER COURT DECISION
59.	100469	CHHAVI PANT	UNDER COURT DECISION

1	2	3	
60.	100470	DHARMENDRA KUMAR	
61.	100471	VERSA TRIPATHI	
62.	100475	GULAB SINGH	
63.	100479	DEEPAK KUMAR SARYAM	
64.	100490	RAGHBENDRA SINGH PARIHAR	
65.	100491	GOPAL BOYAL	
66.	100496	SHAHINA TABASSUM	
67.	100499	RAGHUVVEER AHIRWAR	
68.	100503	LAVESH CHOURASIA	
69.	100506	KRISHNA PAL SINGH KIRAR	
70.	100518	SUMEET KUMAR SINGH	
71.	100520	ANJU MARKAM	
72.	100523	NEHA SHRIVASTAVA	
73.	100530	YASH PAL PORWAL	
74.	100534	JAGAT LAL PRAJAPATI	
75.	100538	SANDEEP KUMAR GUPTA	
76.	100550	ARVIND KUMAR JHARIYA	
77.	100567	PRAVEEN SINGH	
78.	100574	KAVITA WAIKER	
79.	100576	DINESH DAWAR	
80.	100584	SUSHILA SIMAIYA	
81.	100587	DHARMENDRA SINGH YASHONA	
82.	100589	NEHA DHURIA	
83.	100624	HIMANSHU SINGH	
84.	100626	SARITA KANGALI	
85.	100629	RAMAN LAL MEDA	
36.	100633	KHUDIRAM SANODIYA	
87.	100645	RISHI KUMAR PAL	
88.	100651	MAHENDRA KUMAR THAKUR	
89.	100655	RADHUSINGH GADRIYA	
90.	100659	LOKENDRA SINGH MANDLOI	
91.	100704	ANJANA KUJUR	UNDER COURT DECISION
92.	100708	PREM CHAND KEWDA	
93.	100716	LOKESH KUMAR	
94.	100719	HIRALAL DAWAR	
95.	100746	DURGA PRASAD TIWARI	
96.	100754	PREETI NIRANJAN	
97.	100776	MUKESH KUMAR BANKOLIYA	
98.	100777	ALKA KODAPE	UNDER COURT DECISION
99.	100793	ANIL KUMAR NIGAM	
100.	100794	NEHA SOHGAURA	
101.	100798	VINITA PARTE	UNDER COURT DECISION

1	2	3
102.	100804	NEELMANI BARA
103.	100810	ANKIT RAWAT
104.	100830	KULDEEP GANVEER
105.	100839	VASUDEV YADAV
106.	100840	RAM MURTI
107.	100853	PRATIK KUMAR BHATT
108.	100855	RUCHI TEKAM
109.	100856	SHIKHA CHAUHAN
110.	100862	ASHOK MAHKALEY
111.	100890	NEETU SINGH
112.	100895	SANTOSH BHALSE
113.	100897	HARISH DAMAR
114.	100899	SANJEEV KUMAR CHAUHAN
115.	100904	KARUNA GAUTAM
116.	100907	ABHISHEK DUBEY
117.	100913	SUMEET MESHARAM
118.	100917	MANOHER UEIKEY
119.	100924	KANCHAN UIKEY
120.	100925	OM PRAKASH BHALAVI
121.	100937	SWAPNA CHOUHAN
122.	100947	DEEPTI KIRAN DEHARIYA
123.	100949	MAHENDRA CHOUBE
124.	100954	DINESH MANDLOI
125.	100955	PRACHI KAUTOO
126.	100964	DINESH SHRIVASTAVA
127.	100969	REKESH BADOLE
128.	100976	HITESH KODAPE
129.	100979	DINESH KUMAR PARMAR
130.	100980	SWATI YADAV
131.	100982	BARKHA DHANOTIYA
132.	100985	AKANKSHA JAISWAL
133.	100986	SUNIL KUMAR
134.	100988	SMITA WAIKER
135.	100990	DHARMENDRA PATIDAR
136.	100994	BINDU LATA BAREKAR
137.	101015	ARVIND MIDAME
138.	101020	NITESH GAJBHIYE
139.	101021	NAZNEEN KHAN
140.	101023	RAGHUBIR KUMAR PATIDAR
141.	101024	SHASHIKANT DWIVEDI
142.	101043	RAMBALWAN JATAV
143.	101046	PRATAP TALWARE

1	2	3	
144.	101051	KAILASH PACHAYA	
145.	101066	MANISHA PATEL	
146.	101074	AVDHESH KUMAR PATEL	
147.	101089	VIJAY KUMAR PATIDAR	
148.	101090	POONAM SAMDARIYA	
149.	101091	MUNESH KUMAR SHAKYA	
150.	101093	SAMEER KUMAR PATEL	
151.	101099	LAVKUSH SINGH	
152.	101109	ARVIND KUMAR VERMA	
153.	101111	NAMITA PAL	UNDER COURT DECISION
154.	101113	PRAFUL GHODESWAR	
155.	101117	VEER SINGH JATAV	
156.	101130	PREETI BELWANSHI	
157.	101178	POORNIMA MALVIYA	
158.	101184	MANOJ KUMAR AHIRWAR	
159.	101188	SHAZIA MIRZA	
160.	101196	RINKU JAGDISH MUZALDA	
161.	101205	MOTILAL KHATUMARIYA	
162.	101206	SURENDRA BADOLE	
163.	101207	RAJBEER SINGH TOMAR	
164.	101212	JHUMUR GHATAK	
165.	101213	SANJAY YADAV	
166.	101214	NISHA MESHARAM	UNDER COURT DECISION
167.	101218	ANIL KUMAR SHARMA	
168.	101223	SHASHI GOYAL	
169.	101226	DURGAWATI WAGELA	
170.	101229	NITIN PATIDAR	
171.	101238	RICHA SINGH	
172.	101244	SARITA PATTI	
173.	101245	NEERAJ KUMAR REWARI	
174.	101257	SURENDRA SINGH RAGHUWANSH	
175.	101258	ROOP CHAND JATAV	UNDER COURT DECISION
176.	101259	GOPAL SINGH SOLANKI	
177.	101260	SANJAY KUMAR VISHWAKARMA	
178.	101268	KIRAN RAWAT	
179.	101269	SURENDRA KUMAR SHARMA	
180.	101298	JAGDISH CHANDRA PARMAR	
181.	101299	RASHMI THAKUR	
182.	101308	DEEPAK MANDLOI	
183.	101310	SUMIT CHOUREY	
184.	101321	VIKAS KUMAR	
185.	101329	CHANDRA PRAKASH PATIDAR	

1	2	3	
186.	101336	SANGEETA UIKEY	
187.	101338	CHOUDHARY KEERTI	
188.	101349	RAMESHWAR SINGH KAMARIYA	
189.	101350	ARCHANA NAGDEVE	
190.	101351	KUMUD BUNKAR KORI	
191.	101363	SUSHMA AHIRWAR	
192.	101389	BIRENDRA SINGH YADAV	
193.	101400	MADHURIMA VAISHNAV	
194.	101415	KRISHANPAL SINGH JADON	
195.	101430	KALU SINGH VASUNIYA	
196.	101438	JITENDRA SINGH RAWAT	
197.	101441	MOHAN SWAROOP GANGWAR	
198.	101443	MADHUSINGH SASTIYA	
199.	101461	MUNENDRA PAL	
200.	101462	KULDEEP SINGH	
201.	101469	MANJU RAWAT	
202.	101492	NEERENDRA SINGH DHAKAD	UNDER COURT DECISION
203.	101500	RAJEEV YADAV	
204.	101507	KAPIL BEDA	
205.	101510	KIRTI GAKRE	
206.	101548	SHRIKRISHNA VERMA	
207.	101550	JITENDRA NAMDEV	
208.	101552	REETESH KUMAR PYASI	
209.	101572	MANOJ KUMAR MAHAPLE	
210.	101583	SABHAJEET	
211.	101604	ANIL RAI	
212.	101606	DINESH KUMAR JATAV	
213.	101616	GOVIND PRASAD	
214.	101619	DINESH KUMAR NINGAWALE	
215.	101631	PAWAN SINGH MARAVI	
216.	101632	PRATEEKSHA SINGOTIYA	UNDER COURT DECISION
217.	101638	ANURAG KUMAR VERMA	
218.	101647	ATUL TIWARI	
219.	101648	HARSHESH JADHAV	
220.	101651	MEGHA INVATI	
221.	101654	PRIYANKA SINGH	
222.	101657	SANTOSH KUMAR DADING	
223.	101660	PUNAM SINGH RATHOD	
224.	101667	RAM PAL SINGH GOUD	
225.	101675	VASEEM KHAN NAYTA	
226.	101680	SUNIL KUMAR	

1	2	3	
227.	101715	HARI RAM KORI	
228.	101738	BABLU SHAKYA	
229.	101740	RANVIJAY PRATAP SINGH	UNDER COURT DECISION
230.	101742	MANOJ KUMAR TARWARIYA	
231.	101775	NITIN KUMAR	
232.	101790	MADU SINGH DEWDA	
233.	101791	YOGENDRA KUMAR BEDA	
234.	101792	HEERESH PATEL	
235.	101793	BINOD KUMAR	
236.	101803	RAJPRABHA MARKO	
237.	101806	KAMLESH MALI	
238.	101835	DEEPAK GHURE	
239.	101839	VEDRAM HANOTE	
240.	101859	SATYA PRAKASH JAISWAL	
241.	101863	VIKRAM SINGH RAWAT	
242.	101868	DEVI DAS NAWANGE	
243.	101872	RANJEET DAWAR	
244.	101875	PRATIK KUMAR MEHTO	
245.	101880	ATUL THAKUR	
246.	101885	ASHISH KUMAR TIWARI	UNDER COURT DECISION
247.	101888	RAJENDRA AHIRWAR	
248.	101891	JITENDRA KUMAR SHARMA	
249.	101908	SABINA BANDODE	
250.	101911	BHUPENDRA KUMAR CHOUDHARY	
251.	101917	RAVI KUMAR	
252.	101932	PAVAN MEENA	
253.	101949	MEGHA RAJPUT	
254.	101971	RAJARAM PATIDAR	
255.	101973	CHANDRASHEKHAR CHOUDHARY	
256.	101986	PREM NARAYAN SILORIYA	
257.	101988	SUNITA VERMA	
258.	101996	JAY DUTT SHARMA	
259.	101997	VINAY DHURWEY	
260.	102008	RUCHI MALVIYA	
261.	102046	NITIN KIRTI GANVEER	
262.	102051	MUKESH KUMAR KULASTE	
263.	102052	AASTHA PRADHAN	
264.	102054	SHANKAR DAYAL AHIRWAR	
265.	102062	MUNESH JATAV	
266.	102064	HARSH LATA WASNIK	
267.	102066	BATTU SINGH MANDLOI	
268.	102074	CHUNNI LAL RAI	

1	2	3	
269.	102075	RAM NARAYAN AHIRWAR	
270.	102077	SANTOSH PATIDAR	
271.	102079	SURENDRA KUMAR YADAV	
272.	102087	VIJAY SINGAD	
273.	102092	KRISHAN KUMAR BAGRI	
274.	102095	DEEPAK KUMAR MALVIYA	
275.	102108	KALICHARAN AHIRWAR	
276.	102117	AARTI SINGH	
277.	102121	MUKESH KUMAR AHIRWAR	
278.	102124	RAVISH SINGH	
279.	102125	HARINAND VERMA	
280.	102126	VIDESHEE BHALADHARE	
281.	102131	PRAGATI PATERIA	UNDER COURT DECISION
282.	102137	DEVENDRA KUMAR BARASKAR	
283.	102140	ASHA SINGH	UNDER COURT DECISION
284.	102145	SUMITA DWIVEDI	
285.	102154	HARIDARSHAN CHOUKSEY	UNDER COURT DECISION
286.	102158	BALRAM BARAIYA	
287.	102159	DEEPIKA RAJAK	
288.	102172	SANTOSH ARYA	
289.	102192	RAJESH PATIDAR	
290.	102203	SUNIL KUMAR BARDE	
291.	102214	PAVAN KUMAR KAURAV	
292.	102218	JAGDISH MANDLOI	
293.	102230	ABHISHEK PATIDAR	
294.	102238	AKHILESH PATEL	
295.	102270	GEETA PATEL	
296.	102279	JITENDRA CHAREL	
297.	102283	PUSHPA JHARIA	
298.	102288	MANA SOLANKI	
299.	102291	DHARMENDRA KUMAR SINGH	
300.	102305	VINOD KUMAWAT	
301.	102320	KHYATI RAJPUT	
302.	102333	ANURAG TRIPATHI	
303.	102334	RAMESH KUMAR SINGH	
304.	102338	KSHAMA SHUKLA	
305.	102341	SIDDHARTH LASHKARI	
306.	102352	KAMAL MALVIA	
307.	102360	AMRIT KUMAR PIPALDE	
308.	102368	RENU PARASHAR	
309.	102371	ARVIND KUMAR JAWARE	

1	2	3	
310.	102377	PRATIBHA TEMBHARE	
311.	102380	OMPRAKASH WASKALE	
312.	102393	DAYARAM BENAL	
313.	102398	GAJANAND JAT	
314.	102401	RAJU JATAV	
315.	102415	RAJARAM BADOLE	
316.	102435	LOKESH GANGRADE	
317.	102442	ANJALI BAJPAI	
318.	102464	JYOTI MORYA	
319.	102519	POONAM SINGH	
320.	102521	ASHA KIRAN RANA	UNDER COURT DECISION
321.	102533	AMIT PRATAP SINGH	
322.	102534	GEETA TARE	
323.	102538	RAM SUJAN SHARMA	
324.	102542	KALPANA TIRKEY	
325.	102545	MAYA RAMTEKE	
326.	102546	RAMAN KUMAR PACHAURI	
327.	102548	MANEESHA KAURAV	
328.	102563	DHEERAJ KUMAR TIWARI	
329.	102564	GANESH VERMA	
330.	102568	PRAHLAD SINGH	
331.	102575	PRIYANKA TIWARI	UNDER COURT DECISION
332.	102588	SUSHMA PARMAR	
333.	102599	MOHAMMAD RASID KHAN	
334.	102610	SATRUGHAN PANDEY	
335.	102629	JITENDRA KUMAR DUBEY	
336.	102632	PAPPU SINGH WASKEL	
337.	102639	CHUNNEELAL DAWAR	
338.	102642	PRATIK SNODIYA	UNDER COURT DECISION
339.	102650	PRAMOD SINGH UTTI	
340.	102672	SHANKAR LAL KURMI	
341.	102681	GOPAL SINGH JATAV	
342.	102691	POSHAN LAL KUSHWAHA	
343.	102704	ANIL KUMAR RAI	
344.	102707	OM PRAKASH SHARMA	
345.	102712	NARESH SAHARE	
346.	102724	MAHENDRA SINGH JATAV	
347.	102736	TULSA ARMO	UNDER COURT DECISION
348.	102750	TULA RAM KULASTE	
349.	102751	NAVEEN DUBEY	



1	2	3
350.	102756	MAHENDRA KUMAR MARSKOLE
351.	102763	AKANSHA DIXIT
352.	102731	MUKESH JHANIYA
353.	102789	ASHISH KUMAR BORKAR
354.	102792	SHIRISH SINGH
355.	102793	MELNA MARKAM
356.	102798	MANOJ KUMAR YADAV
357.	102800	HARVIR SINGH
358.	102808	HEMLATA AHIRWAR
359.	102809	RAGINI VARME
360.	102810	GYAN SINGH PANWAR
361.	102820	RAJIV VASHISHTHA
362.	102829	RAJEEV KUMAR MISHRA
363.	102840	SUNIL KUMAR DHOTE
364.	102848	DINESH BARIA
365.	102856	ABHILASHA CHOURASIA
366.	102861	NAVDIP RAWAT
367.	102867	LOKENDRA SINGH MANDLOI
368.	102868	VIRENDRA KUMAR PARMAR
369.	102875	GIRRAJ PRASAD NAGAR
370.	102876	VINOD KUMAR RAGHUWANSHI
371.	102882	DINESH NARGESH
372.	102895	JITANDRA DHAKAR
373.	102917	GEETA NEELAM SAKET
374.	102928	KISHOR SINGH KANEL
375.	102932	SHAILENDRA SINGH GHURAIYA
376.	102935	SATENDRA KUMAR TIWARI
377.	102958	ASHOK KUMAR KUSHWAH
378.	102969	MADHURI WANKHEDE
379.	102974	OMPRAKASH SINGH RAGHUWANS
380.	102977	AMUL KUMAR CHOUDHARY
381.	102988	MANISH MISHRA
382.	102994	ROOPRESHAM AWASE
383.	102996	RICHA SINGH RAJPUT
384.	103009	GAYATRI KORI
385.	103011	DEEPAK CHOURASIYA
386.	103039	MINI CHOUKSEY
387.	103042	POOJA MURLIDHARAN
388.	103046	JYOTI CHOUHAN
389.	103050	MOHAKAM SINGH ARGAL

UNDER COURT DECISION

UNDER COURT DECISION

1	2	3	
390.	103051	AJAYENDRA KUMAR	
391.	1030S2	RITU ALAWE	
392.	103054	GYANSINGH SOLANKI	
393.	103057	SUNITA MAWASE	
394.	103064	MAHITOSH PANDEY	
395.	103080	RAHUL DAWAR	
396.	103084	SHELENDRA SINGH	
397.	103094	SURENDRA SINGH	
398.	103096	PARSHOTTAM BAGARI	
399.	103108	VIRENDRA YADAV	
400.	103115	SANDEEP KUMAR PARMAR	
401.	103124	RAKESH SOLANKI	
402.	103125	PAPPU KATARA	
403.	103129	BHOJRAJ SINGH PARMAR	
404.	103130	PRADHUMAN CHOUHAN	
405.	103147	BRAJESH KUMAR SHARMA	
406.	103148	PARASRAM JADHAW	
407.	103154	M.MANOJ KUMAR	
408.	103164	MANISHA SHYAM	
409.	103167	RAMESH CHOUHAN	
410.	103170	CHAYA PAWAR	
411.	103174	MAHESH YADAV	
412.	103175	GUNWANT SINGH	
413.	103182	NARESH KUMAR MEENA	
414.	103188	GAJENDRA KUMAR BODE	
415.	103190	SHIV CHARAN SOLANKI	
416.	103202	SUNITA PANDRE	
417.	103203	MIUND DESHBHRATAR	
418.	103214	RFKHAN JAWRE	
419.	103215	RAKESH SINGH KAUSHAL	
420.	103222	JAGAT DAWAR	
421.	103226	GOPAL MOURYA	
422.	103228	CHETAN MATIKHAYE	
423.	103234	RAJARAM CHOUHAN	
424.	103246	SUGHAR SINGH JATAV	
425.	103252	POONAM PANDEY	
426.	103257	SARNAM SINGH MOURY	
427.	103289	AMIT YADAV	
428.	103290	MANOHER SARYAM	UNDER COURT DECISION
429.	103296	SHIV SINGH KIRAR	
430.	103303	DEEPTI RAHANGDALE	
431.	103317	DIWAN SINGH JATAV	
432.	103319	RAMESHWAR CHOUHAN	

1	2	3				
433.	103334	NEELU TEKAM	UNDER COURT DECISION			
434.	103343	PREETI DWIVEDI				
435.	103363	HARIMOHAN BANJARA				
436.	103370	VED PRAKASH GUPTA				
437.	103375	BIRENDRA SINGH MATHUR				
क्र.	विवरण	अना.	अजा.	अजजा.	अपिवर्ग	योग
(अ)	कुल प्रावधिक अर्ह आवेदकों की संख्या	204	72	104	57	437
(ब)	कुल प्रावधिक अर्ह आवेदकों में से निःशक्त आवेदकों की संख्या.					
	अ.बा.	04×03=12 12 प्राप्त	02×03=06 04 प्राप्त (02 कम)	01×03=03 04 प्राप्त	01×03=03 03 प्राप्त	23
	श्र.बा.	04×03=12 04 प्राप्त (08 कम)	01×03=03 (03 कम)	01×03=03 (03 कम)	01×03=03 (03 कम)	04
	दू.बा.	03×03=09 08 प्राप्त (01 कम)	01×03=03 (03 कम)	01×03=03 (03 कम)	02×03=06 (06 कम)	08
(स)	कुल प्रावधिक अर्ह आवेदकों में से भू पू. सैनिकों की संख्या.	-	-	-	-	-
(द)	कुल प्रावधिक अर्ह आवेदकों में से महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध प्रावधिक अर्ह महिला आवेदकों की संख्या.	58	18	31	19	126

**महत्वपूर्ण टीप:—**

1. सूची में दर्शाये गये प्रत्याशियों का साक्षात्कार पूर्णतया प्रावधिक (प्रॉविजनल) है, यदि यह पाया गया कि प्रत्याशी उपरोक्त पदों हेतु विज्ञापन में अधिसूचित नियमों/शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं तो प्रत्याशी साक्षात्कार हेतु आयोग्य माने जाएंगे।
2. प्रावधिक अर्ह पाये गये आवेदकों के अनुप्रमाणित फार्म एवं अन्य अभिलेखों की सूक्ष्म जांच के उपरान्त ही साक्षात्कार आयोजित होंगे।
3. परीक्षा में प्रत्याशियों को प्रवेश से संबंधित शर्तों के अनुसार अपनी आयु, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र एवं अन्य समस्त प्रमाण-पत्र के समर्थन में मूल प्रमाण-पत्र की प्रमाणिक प्रतियाँ साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
4. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं. अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन-पत्र भेजें. लिखित परीक्षा में सम्मिलित किये जाने या साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है. चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन-पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी.
5. न्यायालयीन प्रकरणों का अंतिम चयन परिणाम माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन रहेगा.
6. प्रावधिक अर्ह प्रत्याशियों की सूची आयोग कार्यालय के सूचना-फलक पर देखने के लिए उपलब्ध है. यह स्पष्ट किया जाता है कि मुद्रण की त्रुटियों के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा एवं आयोग कार्यालय के सूचना-फलक पर चरप्पा की गई प्रत्याशियों की सूची ही प्रमाणिक मानी जायेगी.

आर. आर. कान्हेरे,  
परीक्षा नियंत्रक.

## विविध

### न्यायालयों की सूचनाएं

#### न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, इन्दौर

( फॉर्म-चार )

[ मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 ( तीस ) ( 95 ) की धारा-5 ( 2 ) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 ( 1 ) के अन्तर्गत ]

अम्बा चैरिटेबल ट्रस्ट, कार्यालय 302, सनसिटी बाम्बे हॉस्पिटल के पास, इन्दौर मध्यप्रदेश की ओर से श्री सुरेश पिता शंकरप्रसाद उपाध्याय अन्य 4, निवासी-302, सनसिटी बाम्बे हॉस्पिटल के पास, इन्दौर मध्यप्रदेश द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् ( 30 दिन ) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

#### परिशिष्ट

( पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण )

ट्रस्ट का नाम	:	अम्बा चैरिटेबल ट्रस्ट.
कार्यालय पता	:	302, सनसिटी बाम्बे हॉस्पिटल के पास, इन्दौर ( म.प्र. ).
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	रुपये 11,000/- ( रुपये ग्यारह हजार मात्र ).

आज दिनांक 11 अगस्त, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

रजनीश कसेरा,  
रजिस्ट्रार.

( 454 )

### न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, खण्डवा

प्र. क्र. 4/बी-113(1)/2014-15.

जारी, दिनांक 07 जुलाई, 2015

#### प्रारूप-चार

[ मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 ( 2 ) एवं मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास नियम 1962 के नियम 5 ( 1 ) के अन्तर्गत ]

आवेदक ट्रस्ट श्री शाम साई सदन ट्रस्ट लोक न्यास, मोरटक्का, जिला खण्डवा की ओर से कार्यकारी न्यासी श्री श्री राजेश श्रीकृष्ण चौबे, श्री यशवंतसिंह ठाकुर, श्री सुरेश खण्डेलवाल द्वारा ने मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-4 के तहत आवेदन-पत्र पेश कर उक्त ट्रस्ट के पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया गया। एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे द्वारा न्यायालय में दिनांक 27 जुलाई, 2015 को विचार किया जायेगा।

2. उक्त ट्रस्ट के कार्य अथवा सम्पत्ति से कोई व्यक्ति यदि हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के एक माह के भीतर लिखित विवरण दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है और वह स्वयं अथवा अधिवक्ता/अधिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित हो सकता है। समयावधि के समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा।

#### अनुसूची

न्यास का नाम	..	श्री शाम साई सदन ट्रस्ट
पता	..	ग्राम मोरटक्का, तहसील पुनासा, जिला खण्डवा.
चल सम्पत्ति	..	निरंक.
अचल सम्पत्ति	..	निरंक.

बी-कार्तिकेयन,  
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

( 454 )

**न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, सारंगपुर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा )**

सारंगपुर, दिनांक 14 जुलाई, 2015

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) और

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 का नियम-5(1) देखिये ]

शीर्षक:-श्री हनुमान मंदिर बदलीपुरा सारंगपुर के ट्रस्ट.

पंजीयक लोक न्यास के समक्ष

क्र. 1/बी 121/14-151.— चूंकि श्री दीपूदास पिता श्री गामेतीदास वैरागी आदि, निवासी सारंगपुर द्वारा श्री हनुमान मंदिर बदलीपुरा सारंगपुर, जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट-1951 की धारा-4 के अन्तर्गत जो कि एक पंजीकृत धार्मिक एवं सामाजिक सेवा गतिविधि स्वरूप का होगा के पंजीयन हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया. जिसकी चल एवं अचल सम्पत्ति परिशिष्ट में दर्शायी है. सर्व-सम्बन्धित को यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रार्थना-पत्र मेरे न्यायालय में विचारार्थ नियत है.

जो भी व्यक्ति उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो उसके बारे में कोई सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस अधिसूचना द्वारा सूचना दी जाती है कि वह अधिसूचना प्रकाशन से 30 दिवस के अन्दर सुझाव, आपत्ति दो प्रतियों में स्वयं या अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करें.

उक्त नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्ति/सुझाव पर विचार नहीं किया जावेगा.

**परिशिष्ट-अ**

न्यास की चल सम्पत्ति .. रुपये 44,300/-  
का विवरण सूची अनुसार.

**परिशिष्ट-ब**

न्यास की अचल सम्पत्ति .. रुपये 2,23,100/-  
का विवरण सूची अनुसार.

रमेश पाण्डेय,

अनुविभागीय अधिकारी.

(455)

**न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) पंजीयक, लोक न्यास, मण्डलेश्वर, जिला खरगौन**

रा. प्र. क्र. 01/बी-113/2014-15.

मण्डलेश्वर, दिनांक 11 अगस्त, 2015

**फार्म-चार**

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) तथा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1962, के नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर आवेदक प्रबन्ध ट्रस्टी श्री प्रकाशचंद्र पिता बद्रीलाल उपाध्याय, निवासी महेश्वर द्वारा राजस्थानी (मारवाडी छन्याती) ब्राह्मण समाज ट्रस्ट महेश्वर, तहसील महेश्वर, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश का पंजीयन किये जाने का निवेदन किया है.

उक्त आवेदन-पत्र न्यास गठन की कार्यवाही मेरे न्यायालय में प्रचलित है यदि कोई व्यक्ति या हितबद्ध पक्षकार उक्त न्यास के गठन या पंजीयन के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करना चाहता है तो वह अपनी आपत्ति या सुझाव लिखित में इस सूचना प्रकाशन के 30 दिवस की अवधि में मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकता है. निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात् किसी भी आपत्ति/सुझाव मान्य नहीं किया जावेगा.

**लोक न्यास का नाम, पता तथा सम्पत्ति का विवरण**

1. न्यास का नाम .. राजस्थानी (मारवाडी छन्याती) ब्राह्मण समाज ट्रस्ट महेश्वर, तहसील महेश्वर, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश.
2. न्यास का पता .. लक्ष्मीबाई मार्ग, वार्ड नं.-02, महेश्वर, तहसील महेश्वर, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश.
3. चल सम्पत्ति .. 5,000/- रुपये (पांच हजार मात्र)
4. अचल सम्पत्ति .. निरंक.

यह सूचना आज दिनांक 11 अगस्त, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी की गई.

बी. एस. सोलंकी,

अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(458)

## न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, खण्डवा

प्र. क्र. /बी-113(1)/2012-13.

जारी, दिनांक 21 जुलाई, 2015

### प्रारूप-चार

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) एवं मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास नियम 1962 के नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

आवेदक ट्रस्ट श्री अखिल भारतीय बंजारा समाज धर्मशाला कमेटी, गोदडपुरा, ओंकारेश्वर, जिला खण्डवा की ओर से कार्यकारी न्यासी श्री सुंदर पिता गेंदालाल महाराज, नि. लालपुरा, तह. बडवाह, जिला खरगौन द्वारा ने मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 की धारा-4 के तहत आवेदन-पत्र पेश कर उक्त ट्रस्ट के पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया गया. एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे द्वारा न्यायालय में दिनांक 27 जुलाई, 2015 को विचार किया जायेगा.

2. उक्त ट्रस्ट के कार्य अथवा सम्पत्ति से कोई व्यक्ति यदि हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के एक माह के भीतर लिखित विवरण दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है और वह स्वयं अथवा अधिवक्ता/अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित हो सकता है. समयावधि के समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा.

### अनुसूची

सार्वजनिक न्यास का नाम ..	श्री अखिल भारतीय बंजारा समाज धर्मशाला कमेटी, गोदडपुरा, ओंकारेश्वर, जिला खण्डवा.
पता ..	ग्राम गोदडपुरा, ओंकारेश्वर, तह. पुनासा, जिला खण्डवा
चल सम्पत्ति ..	नगद राशि कुल 20,000/- रुपये तथा धर्मशाला में सामग्री मूल्य लगभग 1,00,000 रु.
अचल सम्पत्ति ..	धर्मशाला भवन बाजार मूल्य लगभग 2,00,00,000 (दो करोड़).

बी-कार्तिकेयन,

अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

(459)

## अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा-अध्यक्ष,

लघु किसान बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या.,

डबरा, जिला ग्वालियर.

लघु किसान बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./419, दिनांक 16 अप्रैल, 2012 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर के पत्र दिनांक 12 जनवरी, 2015 के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आईं.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
2. संस्था के किसी भी पदाधिकारी/सदस्य से उनके द्वारा दिये गये पते पर भेंट नहीं हुई.
3. संस्था गत कई वर्षों से अकार्यशील है.
4. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बन्द कर दिया है.
5. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया जा रहा है.
6. संस्था ने अपने दायित्वों का पालन न करते हुये अंकेक्षण नहीं कराया है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबन्धकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलैला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओं सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये सूचना-पत्र, आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 14 सितम्बर, 2015 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 10 अगस्त, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

संजय दलैला,  
उप-पंजीयक.

(448)

### कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन

खरगौन, दिनांक 30 जुलाई, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (1) सी/ग के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/क्यू.—कार्यालय उप-पंजीयक (प्रशासन) सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सूची अनुसार संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर संस्थाओं के नाम के सम्मुख दर्शित अधिकारी को धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन		परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक	वर्तमान परिसमापक का नाम
		पूर्व पंजीयन क्र./दि.	नवीन पंजीयन क्र./दि.		
1	2	3	4	5	5
1.	हेल्प साख सहकारिता मर्या., खरगौन.	105/06-06-2006	1807/10-03-2014	963/09-09-2008	एस. एस. चौहान, व. स. नि.
2.	पूजा साख सहकारिता मर्या., खरगौन.	44/05-02-2004	1746/10-03-2014	154/10-02-2009	एस. एस. चौहान, व. स. नि.
3.	महाप्रभुजी साख सहकारिता मर्या., खरगौन.	107/04-07-2006	1809/10-03-2014	1592/22-12-2014	एस. एस. चौहान, व. स. नि.
4.	महालक्ष्मी साख सहकारिता मर्या., बड़वाह.	88/28-11-2005	1790/10-03-2014	1592/22-12-2014	एस. एस. चौहान, व. स. नि.
5.	नर्मदा बायोप्रोडैक्ट सहकारी संस्था मर्या., बडुद.	109/21-07-2006	1811/10-03-2014	1592/22-12-2014	एस. एस. चौहान, व. स. नि.

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि उपरोक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना/देना निकल रहा है वह इस विज्ञप्ति प्रकाशित होने के 2 माह (60 दिवस) के अन्दर अपने दावे, मय प्रमाण सहित संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित परिसमापक को प्रस्तुत करें उक्त अवधि में प्रस्तुत न होने वाले दावे या स्वत्व के सम्बन्ध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो कि रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार कार्यवाही कर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है किन्ही भी व्यक्तियों, संस्था सदस्यों/भूतपूर्व सदस्यों, पदाधिकारियों के पास इन संस्थाओं से सम्बन्धित कोई लेखा पुस्तकें, चल-अचल सम्पत्ति, अन्य कोई सामान हो तो इस सूचना के प्रकाशन के 1 माह के अन्दर सम्बन्धित परिसमापक को प्रस्तुत करें व रसीद प्राप्त करें. अवधि खत्म होने के पश्चात किसी भी व्यक्ति के पास इन समितियों की उपरोक्त चीज होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी. जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सूचना आज दिनांक 30 जुलाई, 2015 को परिसमापक के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई.

एस. एस. चौहान,  
परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

(449)

**कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा**

विदिशा, दिनांक 23 जुलाई, 2015

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

मांझी मछुआ कल्याण मत्स्य विकास सहकारी समिति मर्या., विदिशा, तहसील व जिला विदिशा वर्ष 2011-12 की अंकेक्षण टीप अनुसार संस्था अकार्यशील है.

संस्था की उक्त अंकेक्षण टीप से निष्कर्ष निकलता है कि संस्था निष्क्रिय है. इस प्रकार उपरोक्त संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (क) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, मांझी मछुआ कल्याण मत्स्य विकास सहकारी समिति मर्या., विदिशा, तहसील व जिला विदिशा, पंजीयन क्रमांक ए. आर./व्ही.डी. एस./346, दिनांक 06 अप्रैल, 1989 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. यदि उक्त संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 23 जुलाई, 2015 को जारी करता हूँ.

(456)

विदिशा, दिनांक 23 जुलाई, 2015

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

शिव मछुआ मारन पालन सहकारी संस्था मर्या., पठारी हवेली, तहसील विदिशा वर्ष 2011-12 से वर्ष 2013-14 तक की अंकेक्षण टीपों के अनुसार संस्था अकार्यशील है.

संस्था की अंकेक्षण टीपों से निष्कर्ष निकलता है कि संस्था निष्क्रिय है. इस प्रकार उपरोक्त संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (क) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, शिव मछुआ मारन पालन सहकारी संस्था मर्या., पठारी हवेली, तहसील विदिशा, पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही.डी. एस./724, दिनांक 15 मार्च, 2007 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. यदि उक्त संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 23 जुलाई, 2015 को जारी करता हूँ.

(456-A)

विदिशा, दिनांक 23 जुलाई, 2015

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

बेतवा मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., विदिशा, तहसील व जिला विदिशा वर्ष 2011-12 से वर्ष 2013-14 तक की अंकेक्षण टीपों के अनुसार संस्था अकार्यशील है.



संस्था की उक्त अंकेक्षण टीपों से निष्कर्ष निकलता है कि संस्था निष्क्रिय है। इस प्रकार उपरोक्त संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (क) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, बेतवा मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., विदिशा, तहसील व जिला विदिशा, पंजीयन क्रमांक ए. आर./व्ही.डी. एस./249, दिनांक 02 मार्च, 1983 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये। इस सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। यदि उक्त संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 23 जुलाई, 2015 को जारी करता हूँ।

भूपेन्द्र प्रताप सिंह,

उप-पंजीयक.

(456-B)

### कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी

सीधी, दिनांक 05 अगस्त, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/710.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013/1026, दिनांक 24 दिसम्बर, 2013 के द्वारा महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., नौढ़िया, जिला सीधी, जिसका पंजीयन क्रमांक DR/SDH/894, दिनांक 24 फरवरी, 2003 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन अन्तर्गत लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री राजेश निगम, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक की कार्यवाही के परीक्षण उपरान्त मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) (2) के तहत पंजीयक के अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त किये गये हैं का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का निगम निकाय (वॉडी कॉरपोरेट) को समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 05 अगस्त, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(457)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) (2) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013/1026, दिनांक 24 दिसम्बर, 2013 के द्वारा महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., कोदौरा, जिला सीधी, जिसका पंजीयन क्रमांक DR/SDH/878, दिनांक 09 अक्टूबर, 2002 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन अन्तर्गत लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री राजेश निगम, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक की कार्यवाही के परीक्षण उपरान्त मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) (2) के तहत पंजीयक के अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त किये गये हैं का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का निगम निकाय (वॉडी कॉरपोरेट) को समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 05 अगस्त, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(457-A)

सीधी, दिनांक 05 अगस्त, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/712.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013/1026, दिनांक 24 दिसम्बर, 2013 के द्वारा महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., खड़ौरा, जिला सीधी, जिसका पंजीयन क्रमांक DR/SDH/842, दिनांक 18 अक्टूबर, 2001 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन अन्तर्गत लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री राजेश निगम, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक की कार्यवाही के परीक्षण उपरान्त मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) (2) के तहत पंजीयक के अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त किये गये हैं का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का निगम निकाय (वॉडी कॉरपोरेट) को समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 अगस्त, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(457-B)

सीधी, दिनांक 05 अगस्त, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/713.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013/1026, दिनांक 24 दिसम्बर, 2013 के द्वारा महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., झलवार, जिला सीधी, जिसका पंजीयन क्रमांक DR/SDH/853, दिनांक 05 अप्रैल, 2002 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन अन्तर्गत लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री राजेश निगम, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक की कार्यवाही के परीक्षण उपरान्त मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) (2) के तहत पंजीयक के अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त किये गये हैं का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का निगम निकाय (वॉडी कॉरपोरेट) को समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 अगस्त, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(457-C)

आर. पी. पाल,  
उप-रजिस्ट्रार.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 35 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 अगस्त, 2015-भाद्र 6, शके 1937

### भाग 3 ( 2 )

#### सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 29 अप्रैल, 2015

1. मौसम एवं वर्षा.—राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के छतरपुर, अनूपपुर, उमरिया, डिण्डोरी, छिन्दवाड़ा जिलों को छोड़कर किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है.—

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील लवकुशनगर, गौरीहार (छतरपुर), जेतहरी, पुष्पराजगढ़, अनूपपुर (अनूपपुर), मानपुर (उमरिया), डिण्डोरी, (डिण्डोरी), परासिया, चौरई (छिन्दवाड़ा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील नौगांव, राजनगर, बिजावर, बक्स्वाहा (छतरपुर) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.—तहसील छतरपुर (छतरपुर) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक.—तहसील बड़ामलहरा (छतरपुर) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. जुताई.—जिला खरगौन, झाबुआ व सिवनी में जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. बोनी.—जिला दमोह में जायद फसलों की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. फसल स्थिति.—

5. कटाई.—जिला बैतूल व डिण्डोरी में रबी फसलों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. सिंचाई.—जिला ग्वालियर, टीकमगढ़, सागर, शहडोल, उमरिया, बड़वानी, विदिशा, नीमच, शाजापुर व नरसिंहपुर में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. पशुओं की स्थिति.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. चारा.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. बीज.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. खेतिहर श्रमिक.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

## मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 29 अप्रैल, 2015

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि.मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी ( कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
<b>जिला मुरैना :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह	..				
2. पोरसा	..				
3. मुरैना	..				
4. जौरा	..				
5. सबलगढ़	..				
6. कैलारस	..				
<b>जिला श्योपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, जौ, चना, सरसों, तुअर (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर	..				
2. कराहल	..				
3. विजयपुर	..				
<b>*जिला भिण्ड :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. अटेर	..				
2. भिण्ड	..				
3. गोहद	..				
4. मेहगांव	..				
5. लहार	..				
6. मिहोना	..				
7. रौन	..				
<b>जिला ग्वालियर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना, मूँगमोठ, तुअर, मूँगफली अधिक. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	..				
2. डबरा	..				
3. भितरवार	..				
4. घाटीगांव	..				
<b>जिला दतिया :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, जौ, चना, सरसों समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सेवड़ा	..				
2. दतिया	..				
3. भाण्डेर	..				
<b>जिला शिवपुरी :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	..				
2. पिछोर	..				
3. खनियाधाना	..				
4. नरवर	..				
5. करैरा	..				
6. कोलारस	..				
7. पोहरी	..				
8. बदरवास	..				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला अशोकनगर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. मुँगावली	..		4. (1) उड़द, चना अधिक. सोयाबीन, गन्ना, गेहूँ कम. मक्का समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	..		(2) ..		
3. अशोकनगर	..				
4. चन्देरी	..				
5. शाढौरा	..				
<b>*जिला गुना :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. गुना	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. राघोगढ़	..		(2) ..		
3. बमोरी	..				
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. कुम्भराज	..				
<b>जिला टीकमगढ़ :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	14.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	..		(2) ..		
3. जतारा	..				
4. टीकमगढ़	..				
5. बल्देवगढ़	..				
6. पलेरा	..				
7. ओरछा	..				
<b>जिला छतरपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. पर्याप्त.
1. लवकुशनगर	12.0		4. (1) तुअर, जौ अधिक. गेहूँ, चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	16.0		(2) ..		
3. नौगांव	33.0				
4. छतरपुर	36.8				
5. राजनगर	22.6				
6. बिजावर	22.0				
7. बड़ामलहरा	86.4				
8. बक्स्वाहा	26.4				
<b>जिला पन्ना :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. अजयगढ़	..		4. (1) मूँग, जौ, राई-सरसों, अलसी, प्याज अधिक. धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तुअर, उड़द, सोयाबीन, तिल, गेहूँ, चना, मसूर, आलू कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	..		(2) ..		
3. गुन्नौर	..				
4. पवई	..				
5. शाहनगर	..				
<b>जिला सागर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	..		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तिवड़ा, राई-सरसों, अलसी, आलू, प्याज समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खुरई	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. बण्डा	..				
4. सागर	..				
5. रेहली	..				
6. देवरी	..				
7. गढ़ाकोटा	..				
8. राहतगढ़	..				
9. केसली	..				
10. मालथोन	..				
11. शाहगढ़	..				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला दमोह :</b>	मिलीमीटर	2. जायद फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना, मूंग, उड़द. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा	..				
2. बटियागढ़	..				
3. दमोह	..				
4. पथरिया	..				
5. जवेरा	..				
6. तेन्दूखेड़ा	..				
7. पटेरा	..				
<b>जिला सतना :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) तुअर, गेहूँ, चना, मसूर, अलसी, सरसों. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	..				
2. मझगवां	..				
3. रामपुर-बघेलान	..				
4. नागौद	..				
5. उचेहरा	..				
6. अमरपाटन	..				
7. रामनगर	..				
8. मैहर	..				
9. बिरसिंहपुर	..				
<b>जिला रीवा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों अधिक. मसूर, अलसी, अरहर समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. त्योंथर	..				
2. सिरमौर	..				
3. मऊगंज	..				
4. हनुमना	..				
5. हजूर	..				
6. गुढ़	..				
7. रायपुरकर्चुलियान	..				
<b>जिला शहडोल :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, गेहूँ, चना, कोदों-कुटकी, मक्का, सोयाबीन, तुअर, राई-सरसों, मसूर, मूंग समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	..				
2. ब्यौहारी	..				
3. जैसिंहनगर	..				
4. जैतपुर	..				
<b>जिला अनूपपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जैतहरी	5.7				
2. अनूपपुर	4.2				
3. कोतमा	..				
4. पुष्पराजगढ़	11.7				
<b>जिला उमरिया :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, राई-सरसों, अलसी, जौ अधिक. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	..				
2. पाली	..				
3. मानपुर	1.0				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला सीधी :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. गोपदवनास	..		4. (1) गेहूँ समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिहावल	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. मझौली	..				
4. कुसमी	..				
5. चुरहट	..				
6. रामपुरनैकिन	..				
<b>जिला सिंगरौली :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. चितरंगी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. देवसर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. सिंगरौली	..				
<b>जिला मन्दासौर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. सुवासरा-टप्पा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मल्हारगढ़	..				
4. गरोठ	..				
5. मन्दासौर	..				
6. श्यामगढ़	..				
7. सीतामऊ	..				
8. धुन्धडका	..				
9. संजीत	..				
10. कयामपुर	..				
<b>जिला नीमच :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. नीमच	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मनासा	..				
<b>जिला रतलाम :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	..		4. (1) गेहूँ, चना, कपास समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आलोट	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. सैलाना	..				
4. बाजना	..				
5. पिपलौदा	..				
6. रतलाम	..				
<b>जिला उज्जैन :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. तराना	..				
4. घटिया	..				
5. उज्जैन	..				
6. बड़नगर	..				
7. नागदा	..				
<b>जिला आगर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. बड़ौद	..		4. (1) गेहूँ, चना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नलखेड़ा	..				
4. आगर	..				
<b>जिला शाजापुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. ..
1. मो. बड़ोदिया	..		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों.	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. शुजालपुर	..				
4. कालापपीपल	..				
5. गुलाना	..				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला देवास :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..		4. (1) चना, मसूर, जौ अधिक. गेहूँ, अलसी, राई-सरसों कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	..		(2) ..		
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कन्नौद	..				
6. खातेगांव	..				
<b>जिला झाबुआ :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. पर्याप्त.
1. थांदला	..		4. (1) मूंग अधिक. मक्का समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. ..
2. मेघनगर	..		(2) ..		
3. पेटलावद	..				
4. झाबुआ	..				
5. राणापुर	..				
<b>जिला अलीराजपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. ..
1. जोवट	..		4. (1) गेहूँ, चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	..		(2) ..		
3. कट्टीवाड़ा	..				
4. सोण्डवा	..				
5. भामरा	..				
<b>जिला धार :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. बदनावर	..		4. (1) गन्ना अधिक. गेहूँ कम. चना समान.	6. संतोषप्रद. चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	..		(2) ..		
3. धार	..				
4. कुक्षी	..				
5. मनावर	..				
6. धरमपुरी	..				
7. गंधवानी	..				
8. डही	..				
<b>जिला इन्दौर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	..		(2) ..		
3. इन्दौर	..				
4. महू	..				
(डॉ. अम्बेडकरनगर)					
<b>जिला खरगौन :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	..		4. (1) मक्का, बाजरा, कपास, मूँगफली, अलसी, राई-सरसों अधिक. ज्वार, धान, तुअर, गेहूँ, चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	..		(2) ..		
3. सेगांव	..				
4. खरगौन	..				
5. गोगावां	..				
6. कसरावद	..				
7. भगवानपुरा	..				
8. भीकनगांव	..				
9. झिरन्या	..				



1	2	3	4	5	6
<b>जिला बड़वानी :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	..		4. (1) गन्ना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. ..
2. ठीकरी	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. राजकोट	..				
4. सेंधवा	..				
5. पानसेमल	..				
6. पाटी	..				
7. निवाली	..				
<b>*जिला खण्डवा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. खण्डवा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. पंधाना	..		(2) ..		
3. हरसूद	..				
<b>जिला बुरहानपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	..				
<b>जिला राजगढ़ :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	..		4. (1) गेहूँ, चना, जौ, सरसों, मसूर अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	..		गन्ना समान.	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	..		(2) ..		
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. पचोर	..				
7. नरसिंहगढ़	..				
<b>जिला विदिशा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. ..
1. लटेरी	..		4. (1) गेहूँ, चना, मसूर समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	..				
4. बासौदा	..				
5. नटेरन	..				
6. विदिशा	..				
7. गुलाबगंज	..				
8. ग्यारसपुर	..				
<b>जिला भोपाल :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	..		4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, तुअर, गन्ना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
<b>जिला सीहोर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. सीहोर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	..		(2) ..	..	
3. इछावर	..				
4. नसरुल्लागंज	..				
5. बुधनी	..				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला रायसेन :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. रायसेन	..		4. (1) गेहूँ, जौ, राई-सरसों, अलसी, मटर अधिक. चना, मसूर लाख, तिवड़ा कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	..		(2) ..		
3. बेगमगंज	..				
4. गौहरगंज	..				
5. बरेली	..				
6. सिलवानी	..				
7. बाड़ी	..				
8. उदयपुरा	..				
<b>जिला बैतूल :</b>	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैंसदेही	..		4. (1) गेहूँ, मसूर, चना अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.		
3. शाहपुर	..				
4. चिचोली	..				
5. बैतूल	..				
6. मुलताई	..				
7. आठनेर	..				
8. आमला	..				
<b>जिला होशंगाबाद :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	..		4. (1) चना, मटर अधिक. मसूर मूंग कम. गेहूँ समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	..		(2) ..		
3. बावई	..				
4. इटारसी	..				
5. सोहागपुर	..				
6. पिपरिया	..				
7. वनखेड़ी	..				
8. पचमढ़ी	..				
<b>*जिला हरदा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. हरदा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. खिड़किया	..		(2) ..		
3. टिमरनी	..				
<b>जिला जबलपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोरा	..		4. (1) गेहूँ, चना, अलसी, राई-सरसों कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाटन	..		(2) ..		
3. जबलपुर	..				
4. मझौली	..				
5. कुण्डम	..				
<b>*जिला कटनी :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. कटनी	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. रीठी	..		(2) ..		
3. विजयराघवगढ़	..				
4. बहोरीबंद	..				
5. ढीमरखेड़ा	..				
6. बरही	..				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला नरसिंहपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	..		4. (1) तुअर, धान, मक्का, उड़द, गन्ना, गेहूँ, मसूर, मटर अधिक. सोयाबीन, चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. करेली	..		(2) ..		
3. नरसिंहपुर	..				
4. गोटेगांव	..				
5. तेन्दूखेड़ा	..				
<b>जिला मण्डला :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	..		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, मसूर, मटर, लाख, अलसी सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.		
3. नैनपुर	..				
4. मण्डला	..				
5. घुघरी	..				
6. नारायणगंज	..				
<b>जिला डिण्डोरी :</b>	मिलीमीटर	2. रबी फसल की कटाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	7.2		4. (1) तुअर, गेहूँ, चना, मसूर बिगड़ी हुई. राई-सरसों, अलसी समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बजाग	..		(2) ..		
3. शाहपुरा	..				
<b>जिला छिन्दवाड़ा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	..		4. (1) गेहूँ, चना, तुअर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. परासिया	1.0				
4. जामई (तामिया)	..				
5. सोंसर	..				
6. पांडुर्णा	..				
7. अमरवाड़ा	..				
8. चौरई	3.2				
9. बिछुआ	..				
10. हरई	..				
11. मोहखेड़ा	..				
<b>जिला सिवनी :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	..		4. (1) ज्वार, कोदों-कुटकी, सोयाबीन, गेहूँ, मटर, मसूर, लाख, तिवड़ा, अलसी, राई-सरसों कम. तिल, सन, चना समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	..		(2) ..		
3. लखनादौन	..				
4. बरघाट	..				
5. कुरई	..				
6. घंसौर	..				
7. घनोरा	..				
8. छपारा	..				
<b>जिला बालाघाट :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	..		(2) ..		
3. बैहर	..				
4. वारासिवनी	..				
5. कटंगी	..				
6. किरनापुर	..				

टीप.— \*जिला भिण्ड, गुना, खण्डवा, हरदा, कटनी से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,

आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(445)